परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
क) अनुसूचित वाणिज्य बैंक		
2006		
अप्रैल	4	• बैंकों को सूचित किया गया कि मुर्गीपालन उद्योग के कार्यशील पूंजी ऋण पर देय मूल राशि एवं ब्याज तथा उनके मीयादी ऋणों की किस्तें तथा ब्याज जो बर्डफ्लू फैलने के कारण 1 फरवरी, 2006 को या उसके बाद भुगतान के लिए देय हैं और उनका भुगतान नहीं हुआ है, उन्हें मीयादी ऋण में बदल दिया जाए। परिवर्तित ऋण की वसूली किस्तों में अगले तीन वर्ष के अनुमानित इनफ्लो के आधार पर की जाए जिसका प्रारंभिक मोरैटोरियम एक वर्ष तक हो। इस संबंध में किए गए अन्य उपायों में शामिल है संघीय सरकार का यह प्रस्ताव कि बैंकों से ऋण लेने वाली सभी मुर्गी पालन इकाइयों को 31 मार्च, 2006 को (इसमें मूल रकम का वह अंश शामिल नहीं है जो अतिदेय हो गया है) बकाया मूल रकम पर चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की एकबारगी ब्याज छूट दी जाए।
	5	• बैंकों को सूचित किया गया कि वे निर्दिष्ट शाखाओं को अनुदेश जारी करें कि राहत/बचत बांडों में परिचालन हेतु प्रत्येक निवेशक के नाम में केवल एक बांड लेजर खाता (बीएलए) खोले जाने के निदेश का सख्ती से पालन करें। यदि वर्तमान में किसी एक ही निवेशक के नाम में एक से अधिक बीएलए हों तो उसकी समीक्षा की जाए और उसे एक बीएलए में विलय कर दिया जाए।
	12	• बैंकों को सूचित किया गया कि वे 31 मार्च, 2006 से गैर-लघु उद्योग (बीमार/कमजोर) इकाइयों के संबंध में एक महीने के भीतर संशोधित फार्मेट में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करें । एकबारगी उपाय के रूप में बैंक संशोधित फार्मेट में 31 मार्च, 2004 और 31 मार्च, 2005 के आंकड़े मई 2006 तक प्रस्तुत करें। • बैंकों को सूचित किया गया कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (संशोधित) विनियमावली, 2006 के अनुसार एक जमा कार्यालय से दूसरे जमा कार्यालय में खाता अंतरण के मामले में विशिष्ट शुल्क प्रभारित करें, जहां जमाराशि एक लाख रुपए या उससे अधिक हो तो पहले अंतरण के लिए पांच रुपए प्रति लाख और दूसरे एवं बाद के अंतरण के लिए दस रुपए प्रति लाख अंतरण शुल्क देय होगा।
	13	• बैंकों को सूचित किया गया कि भारत सरकार ने वर्ष 2006-07 के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के लिए 3,84, 340 व्यक्तियों का लक्ष्य निर्धारित किया है।
	20	• बैंकों को सूचित किया गया कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उप धारा 4 के अंतर्गत स्पष्टीकरण (क) के खंड में अभिव्यक्ति 'ऋण और अग्रिम' में बैंक द्वारा उसके निदेशकों को क्रेडिट कार्ड सुविधा के अंतर्गत प्रदान की गई ऋण राशि उस सीमा तक शामिल नहीं होगी कि इस प्रकार से प्रदान की गई ऋण राशि बैंक द्वारा उस मानदंड का प्रयोग करते हुए निर्धारित की गई है जिसका इस्तेमाल सामान्य क्रेडिट कार्ड कारोबार में किया जाता है।
मई	2	• भारत सरकार द्वारा स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के लिए 2,814 करोड़ रुपए राज्यस्तरीय बैंकर्स समितियां, स्वीकार्य पैरामीटर जैसे संसाधन और ग्रामीण /अर्धशहरी शाखाओं की संख्या के आधार पर प्रत्येक बैंक के लिए लक्ष्य तय करें ताकि प्रत्येक बैंक अपने कार्पोरेट लक्ष्य को प्राप्त कर सके। बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऋण लक्ष्य, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सब्सिडी ऋण अनुपात प्राप्त करने तथा प्रति परिवार 25,000 रुपए का निवेश करने का प्रयास करें।
	8	• सरकारी कारोबार करने के लिए बैंकों को देय एजेंसी कमीशन की दरें संशोधित की गई हैं। 'प्राप्तियों' और 'पेंशन भुगतानों' को छोड़कर 'अन्य भुगतानों' के लिए 01 जुलाई, 2006 से लागू दरें मौजूदा 50 रु. के टर्नओवर के स्थान पर 100 रुपए टर्नओवर पर 9 पैसा होंगी। बैंकों को सूचित किया गया कि वे वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285 ख क के अंतर्गत फाइल की गई वार्षिक सूचना विवरणी की विसंगतियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करें और यदि आवश्यक हो तो आयकर विभाग को 'पूरक सूचना रिपोर्ट' प्रस्तुत करें। वर्ष 2005-06 से संबंधित आवश्यक सूचना 31 मई, 2006 से पहले दी जानी है।
	16	• बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) को सूचित किया गया है कि वे विभिन्न सेवा प्रभारों की जानकारी निर्धारित फार्मेट में अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करें। अनुसूचित वाणिज्य बैंक उनके कार्यालयों/शाखाओं में निर्दिष्ट कतिपय सेवाओं से संबंधित प्रभारों को भी प्रदर्शित करें। इसे स्थानीय भाषा में भी प्रदर्शित किया जाए।
	17	• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से कतिपय शर्तों के अधीन म्युचुअल फंडों के साथ उनकी यूनिटों के विपणन के लिए करार कर सकते हैं, शर्तें इस प्रकार होंगी : i) बैंक को ग्राहक के एजेंट के रूप में कार्य करना होगा, ii) म्युचुअल फंडों की यूनिटों की खरीद का जोखिम ग्राहक उठाएगा और बैंक उसके लिए किसी भी धन की वापस की गारंटी नहीं देगा, iii) बैंक, द्वितीयक बाजार से इस प्रकार के म्युचुअल फंड की यूनिटों को हासिल नहीं करेगा, iv) बैंक ग्राहकों से म्युचुअल फंडों के यूनिटों की वापसी खरीद नहीं करेगा, और v) वर्तमान केवाईसी/एएमएल दिशानिदेशों का पालन करना होगा।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2006		
मई	23	• बैंकों को यह स्पष्ट किया गया कि विशिष्ट श्रेणीवाले मुर्गीपालन उद्योग को दिए जाने वाले राहत उपाय संबंधी ब्याज में छूट की गणना 31 मार्च 2006 को बकाया मीयादी ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण पर चार प्रतिशतता बिंदु पर की जाएगी।
	25	• कमर्शियल स्थावर संपदा में बैंकों के एक्सपोजर पर जोखिम भार 125 प्रतिशत से बढ़ाकर 150 प्रतिशत कर दिया गया है। संयुक्त उद्यम पूंजी निधि में बैंकों के कुल एक्सपोजर को उनके पूंजी बाजार एक्सपोजर का हिस्सा माना जाएगा और इस प्रकार इन एक्सपोजर पर 150 प्रतिशत का उच्चतर जोखिम भार लगाया जाएगा।
	29	• विशिष्ट क्षेत्रों जैसे वैयक्तिक ऋण, पूंजी बाजार एक्सपोजर के लिए पात्र ऋण और अग्रिम, 20 लाख से अधिक रिहाइशी आवसीय ऋण और वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋण के लिए मानक अग्रिमों पर बैंकों द्वारा किए जाने वाले सामान्य प्रावधानीकरण के वर्तमान 0.40 प्रतिशत स्तर को बढ़ाकर 1.0 प्रतिशत कर दिया गया है। • बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि वे लाभ और हानि खाता में 'व्यय' शीर्ष के अंतर्गत दिखाए गए अलग-अलग प्रावधानों और आकस्मिकताओं के ब्यौरे देते हुए जानकारी 'नोट ऑन अकाउंट' में इस प्रकार प्रकट करें : i) निवेश पर मूल्यह्रास का प्रावधान, ii) एनपीए के लिए प्रावधान, iii) मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, iv) आय कर के लिए प्रावधान, v) अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (ब्योरे सहित)।
जून	5	• संघीय बजट 2006-07 में की गई घोषणा के अनुसरण में सरकार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को किसानों को दिए गए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक उत्पादन ऋण पर 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता प्रति वर्ष प्रदान करेगी। सहायता राशि की गणना संवितरण की तारीख से दिए गए फसल ऋण की राशि पर/भुगतान की तारीख तक अथवा उस तारीख तक कि ऋण की राशि अतिदेय हो जाए अर्थात खरीफ के लिए 31 मार्च, 2007 और रबी के लिए 30 जून , 2007 तक आहरित रकम पर, जो भी पहले हो। यह सहायता सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस शर्त पर दी जाएगी कि वे निचले स्तर पर अल्पकालिक ऋण सात प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर उपलब्ध करवाएं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मामले में यह सहायता केवल दिए गए ऐसे अल्पकालिक उत्पादन ऋण के लिए होगी जो उन्होंने अपनी निधि से दिया है और इसमें नाबार्ड पुनर्वित्त के समर्थन वाली राशि को शामिल नहीं किया जाएगा। बैंकों को सूचित किया गया कि वे किसानों को वर्ष 2006-07 में खरीफ और रबी दोनों के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक उत्पादन ऋण के ब्योरे किसानों को तुरंत उपलब्ध करवाएं।
	8	• बैंकों को सूचित किया गया कि वे नवोन्मेषी टियर-I/टियर-II बांडों से संबंधित स्थिर दर वाली रुपया देयताओं को चल दर वाली विदेशी करेंसी देयताओं में परिवर्तन वाले स्वैप लेनदेन में भाग न लें। इसके अलावा, जो स्वैप पूर्व में कर लिए गए हैं, बैंक ऐसे स्वैप लेनदेन के लाभ/हानि के लेखांकन के लिए कतिपय क्रियाविधि का पालन करें।
	12	• भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) ने पूरे देश में भवन निर्माण संबंधी गतिविधियों के विनियमन के लिए दिशानिदेश उपलब्ध करवाने हेतु एक व्यापक भारत 2005 भवन निर्माण संहिता (एनबीएस) तैयार की है। इस संहिता में सुरक्षित और व्यवस्थित भवन निर्माण के विकास के महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं, जैसे प्रशासनिक विनियमन, कार्य प्रगति नियंत्रण नियम तथा सामान्य निर्माण अपेक्षाएं, अग्नि सुरक्षा अपेक्षाएं, निर्माण सामग्री का निर्धारण, ढांचागत डिज़ाइन और निर्माण कार्य (सुरक्षा सहित) और भवन एवं नलसाज़ सेवाएं। बैंकों के निदेशक मण्डलों को सूचित किया गया है कि वे अपनी ऋण नीतियों में इन पहलुओं को शामिल करने पर विचार करें। इसी प्रकार के दिशानिदेश 22 जून, 2006 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी जारी किए गए हैं।
	13	• रिज़र्व बैंक द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए गठित प्राधिकार समिति (ईसी) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोलने, स्थानांतरित अथवा विलय करने के आवेदनों पर विचार करेगी और सिफारिशें देगी। रिज़र्व बैंक प्राधिकार समिति की सिफारिशों पर विचार करते हुए ऐसे आवेदनों का निपटान तेजी से करेगा। इसी प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से चालू खाता लेनदेन हेतु सीमित प्राधिकृत व्यापारियों के रूप में विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राप्त अनुरोध पर प्राधिकार समिति द्वारा सहमति दिए जाने पर रिज़र्व बैंक विचार करेगा।
	22	• चल (फ्लोटेशन) प्रावधानों की उपयोगिता, सृजन, लेखांकन तथा प्रकटीकरण के संबंध में बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को छोड़कर) को संशोधित मानदंड जारी किए गए हैं, अर्थात् ऐसे प्रावधान जो विशिष्ट गैर-निष्पादक आस्तियों के संबंध में नहीं किए गए हैं अथवा मानक आस्तियों के लिए विनियामक अपेक्षा से अधिक किए गए प्रावधान।
	27	• पूरे देश में आधुनिकतम सुदृढ़ ईसीएस सेवाएं प्रारंभ करने की दृष्टि से जिसमें और अधिक शाखाएं एवं स्थान शामिल होंगे तथा आकड़ों की प्रस्तुति केंद्रीकृत रूप से होगी, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे यह जानकारी दें कि इस परियोजना के लिए उनकी तैयारी किस हद तक है।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2006		
जुलाई	4	• बैंकों को सूचित किया गया कि वे ईसीएस (नामे) लेनदेन का संचालन करने के लिए उपयुक्त अधिदेश प्रबंध नित्यचर्या (रुटीन) बनाने हेतु उपाय करें।
	12	• बैंकों को अनुमति दी गई है कि विशेष क्षेत्र में मानक आस्तियों पर अतिरिक्त सामान्य प्रावधान करना समाप्त कर दें अर्थात् वैयक्तिक ऋण, पूंजी बाजार एक्सपोजर के रूप में दिए गए ऋण और अग्रिम, 20 लाख रुपए से अधिक के रिहाइशी आवसीय ऋण तथा वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋण /वित्तीय वर्ष 2006-07 में अतिरिक्त प्रावधान की अपेक्षा इस प्रकार होगी : (क) जून 2006 को समाप्त तिमाही हेतु 0.55 प्रतिशत, (ख) सितंबर 2006 को समाप्त छमाही हेतु 0.70 प्रतिशत, (ग) दिसंबर 2006 को समाप्त तिमाही हेतु 0.85 प्रतिशत और (घ) मार्च 2007 में समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 1.00 प्रतिशत।
	14	• बैंकों को सूचित किया गया है कि वे इंटरनेट आधारित ऐसी इलेक्ट्रॉनिक पर्स योजनाओं से न जुड़े जो जमा लेनेवाली हों और जिन्हें मांग पर आहरित किया जा सकता हो।
	17	• बैंकों को सूचित किया गया है कि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 'महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र में राहत उपाय' के पैकेज के अनुरूप अधिसूचित जिलों के सभी किसानों के ऋण खाते जो 01 जुलाई 2006 को अतिदेय हो गए हैं, का पुनःनिर्धारण करना सुनिश्चित करें और उन पर देय ब्याज (01 जुलाई, 2006 को) को पूरी तरह माफ कर दें। ऐसे किसानों को नया वित्त दिया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। इस प्रयोजन हेतु बैंकों द्वारा दिया जाने वाला 1,275 करोड़ रुपए का कुल ऋण बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा (एसएलबीसी संयोजक होने के नाते) उन जिलों में कार्यरत बैंकों को आबंटित किया जाएगा।
	20	• बैंकों को सूचित गया कि वे सेवा प्रभार और शुल्क की जानकारी अपने वेबसाइट के होमपेज पर उपयुक्त स्थान पर 'सेवा प्रभार और शुल्क' शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित करें ताकि बैंक के ग्राहकों को यह जानकारी सहज प्राप्त हो सके। एक शिकायत का फार्म, शिकायत निवारण करने वाले अधिकारी के नाम के साथ होम पेज पर दिया जाए ताकि ग्राहक आसानी से शिकायत दर्ज कर सकें। शिकायत के कार्य में यह उल्लेख हो कि शिकायत निवारण का पहला स्थान बैंक है, और शिकायतकर्ता तभी बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करे जब एक महीने के भीतर बैंक के स्तर पर उसकी शिकायत दूर नहीं की जाती है।
अगस्त	1	• केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लेनदेन में 'व्हेन इश्यूड' से संबंधित लेखांकन तथा संबद्ध पहलुओं की जानकारी जारी की गयी है।
	3	• मौजूदा अमृतसर जिले में से काटकर 16 जून, 2006 से एक नया जिला तरन तारन बनाया गया है जिसमें तीन तहसीलें हैं : तरन तारन (200 गांव), खडूर साहब (96 गांव), और पट्टी (197 गांव) । नए जिले में अग्रणी बैंक का दायित्व पंजाब नेशनल बैंक को सौंपा गया है।
	9	• प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जानेवाले राहत उपाय के संबंध में अतिरिक्त दिशानिदेश जारी किए गए। • बैंकों को सूचित किया गया कि वे पीडी कारोबार के लिए पृथक एसजीएल खाता न रखें। जो बैंक पीडी कारोबार विभागीय रूप से कर रहे हैं वे केवल एक एसजीएल खाता रख सकते हैं। तथापि, उन्हें आंतरिक तौर पर पृथक लेखा बही रखने की आवश्यकता है ताकि सतत आधार पर यह निगरानी रखी जा सके कि न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की निर्धारित राशि की सरकारी प्रतिभूति रखी जा रही है और पीडी कारोबार द्वारा किए गए लेनदेन का रिकार्ड रखा जा सके।
	10	• सीआरआर के अंतर्गत निर्धारित राशि रखने पर चूक करने पर दण्डात्मक ब्याज दर के बारे में दिशानिदेश जारी किए गए। 24 जून, 2006 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से दण्डात्मक ब्याज इस प्रकार लगाया जाएगा : i) दैनिक आधार पर सीआरआर बनाए रखने जो इस समय कुल सीआरआर अपेक्षा का 70 प्रतिशत है, में चूक होने पर दण्डात्मक ब्याज उस दिन के लिए बैंक दर से तीन प्रतिशत अधिक दर पर वार्षिक आधार पर उस राशि पर वसूला जाएगा जो उस दिन के लिए निर्धारित राशि को बनाए रखने में जितनी राशि की कमी हुई है; और यदि यह कमी अगले दिन/दिनों की बरकरार रहती है तो दंडात्मक ब्याज बैंक दर से पांच प्रतिशत अधिक दर पर वार्षिक आधार पर वसूला जाएगा; (ii) एक पखवाड़े के दौरान औसत आधार पर सीआरआर बनाए रखने में चूक होने पर दंडात्मक ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप धारा (3) में दिए अनुसार वसूला जाएगा। इसी प्रकार के दिशानिदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 11 अगस्त, 2006 को जारी किए गए हैं।
	22	• बैंकों को अनुमति दी गई कि वे कतिपय शर्तों के अधीन पूर्व में अनुमत इंटरनेट आधारित प्लेटफार्म पर स्थानीय करेंसी उत्पाद के अलावा कतिपय लेनदेन के लिए इंटरनेट आधारित विदेशी मुद्रा विनिमय सेवाएं प्रदान करें।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2006		
अगस्त	24	• सभी बैंकों को सूचित किया गया है कि खादी संस्था और उद्यमियों को ऋण सुविधा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआइसी) द्वारा जारी ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र को मान्यता प्रदान करें; बशर्ते कार्यशील पूंजी हेतु केवीआइसी की मूल्यांकन आवश्यकता बैंक द्वारा किए गए मूल्यांकन से 10 प्रतिशत से अधिक न हो। • बाहरी निवेशकों के लिए और बेहतर ग्राहक सेवा देने के लिए निवेशकों को राहत/बचत बांडों के छमाही ब्याज/मूलधन उन्हें उनकी पसंद के स्थान पर या तो मांग ड्राफ्ट जारी करके या मुफ्त अथवा 'सममूल्य' के चेक द्वारा जो बैंक की समस्त शाखाओं पर देय हो, दिया जाए।
सितंबर	1	• प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के लिए समग्र लक्ष्य तथा कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत के उप लक्ष्य की सीमा के भीतर, यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जाए कि अल्पसंख्यक समुदाय को भी समान अंश में ऋण प्राप्त हो। उपर्युक्त अपेक्षाओं का ध्यान अग्रणी बैंकों द्वारा जिला ऋण योजना बनाते समय रखना होगा। • शाखाओं में ग्राहकों को दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया है कि वे खाताधारक को जारी पासबुक/लेखा विवरण में शाखा का पूरा पता/दूरभाष संख्या अनिवार्य रूप से लिखें। इसी प्रकार के दिशानिदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 15 सितंबर 2006 को जारी किए गए हैं।
	4	• बैंकों को यह स्पष्ट किया गया है कि अधिस्थगन आदेश, अधिकतम चुकौती अवधि, पुनःनिर्धारित ऋण के लिए अतिरिक्त संपार्श्विक तथा नए वित्त के संबंध में आस्ति वर्गीकरण से संबंधित अनुदेश, कृषि के अलावा, उद्योग एंव व्यापार के खातों सहित सभी प्रभावित पुनःनिर्धारित उधारी खातों पर लागू होंगे। प्राकृतिक आपदा की तारीख को पुनःनिर्धारित खाते का आस्ति वर्गीकरण किया जाना जारी रहेगा बशर्ते पुनर्निधारण प्राकृतिक आपदा की तारीख से तीन महीने के भीतर पूरा कर लिया गया हो।
	14	• बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे शाखा प्रबंधकों को पर्याप्त शक्तियां प्रत्यायोजित करें ताकि वे स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सब्सिडी राशि को छोड़कर, उच्च अधिकारी को संदर्भित किए बिना ऋण मंजूर कर सकें और ऋण पर ब्याज की गणना हेतु क्रियाविधि का पालन कर सकें।
	18	• भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 'चोहंग बैंक' का नाम बदलकर 12 अगस्त, 2006 से 'सिनहन बैंक' कर दिया गया है।
	20	• बैंकों को सूचित किया गया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना करने अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों का अभिग्रहण करने, जिसमें स्थावर संपदा शामिल है, हेतु संस्थाओं में किए गए बैंकों के एक्सपोजर को तुरंत प्रभाव से वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र में किया गया एक्सपोजर माना जाएगा और बैंक वर्तमान दिशानिदेशों के अनुसार उसके लिए प्रावधान करें और उचित जोखिम भार भी लगाएं। • बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17(1) और 17(1) (ख) (ii) के अंतर्गत लाभ को उनकी प्रारक्षित निधि में अंतरित करने के संबंध में बैंकों को विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं।
अक्तूबर	4	• बैंकों को कहा गया कि अपने सभी खाता धारकों (व्यक्तिगत) को पास बुक सुविधा अवश्य दें।
	5	• प्राथमिक व्यापारी का कारोबार कर रहे/करने जा रहे बैंकों को परिचालनगत दिशानिर्देश जारी किए गए।
	11	• बैंकों को सूचित किया गया था कि गारंटी के हिताधिकारी की ओर से दायित्व के संबंध में नियंत्रक कार्यालय/प्रधान कार्यालय से गारंटी की पुष्टि प्राप्त करने के लिए गारंटी अधिदेशात्मक खंड जोड़ना जरूरी नहीं होगा।
	18	• बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया था कि विनिर्दिष्ट जिले में किसानों के ऋण खातों को जोकि 1 जुलाई 2006 को अतिदेय हो गए थे, उन्हें ऋण से पीड़ित किसानों को, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के राज्यों के 25 जिलों के, राहत के रूप में किए गए पैकेज के समान पुनः अनुसूचित करें।
	31	• सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सिवाय) को सूचित किया गया था कि चालू समष्टि आर्थिक और समग्र मौद्रिक परिस्थितियों के मद्देनजर, रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नियत रिपो दर को दूसरी चल निधि समायोजन सुविधा , 31 अक्तूबर, 2006 से, के 25 आधार बिंदु बढ़ाकर 7 प्रतिशत से 7.2 प्रतिशत कर दी गई है। चल निधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रिपो दर 6 प्रतिशत पर ही अपरिवर्तनीय है। चल निधि समायोजन के अन्य नियमों और शर्तों में कोई परिवर्तन होगा।
नवंबर	3	• वित्तीय सेवाएं आउटसोर्सिंग करने के संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक को जोखिम प्रबंधन व आचार संहिता पर दिशानिर्देश जारी किए गए।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2006		
नवंबर	6	• विदेशों में भारतीय कार्पोरेट के व्यवसाय में सहायता देने के लिए भारतीय संयुक्त उद्यम (जहां भारतीय कंपनी की होल्डिंग 51 प्रतिशत से अधिक है) /विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों को बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऋण और ऋण से इतर सुविधाओं पर विवेक सम्मत (प्रूडेंशियल) सीमा को उनके अक्षत पूंजी कोष (टीयर I और टीयर II पूंजी) के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।
	10	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा गया कि डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए तय की गई पखवाड़े की समय-सीमा उन्हीं मामलों में लागू होगी जहां डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट का अनुरोध ड्राफ्ट खरीदने वाले ने किया हो या ड्राफ्ट जिसके नाम हो (हिताधिकारी/ बेनीफिशियरी) और उन मामलों में नहीं जहां ड्राफ्ट तीसरे पक्ष को परांकित किया गया है।
	13	• विपदाग्रस्त किसानों और वश के बाहर परिस्थितियों के कारण कर्ज नहीं चुका सकने वाले किसानों की सहायता करने के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपने बोर्ड के अनुमोदन से पारदर्शी एकबारगी निपटान (ओटीएस) की नीतियां बना सकते हैं।
	28	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को कहा गया कि ऐसे स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को दिया गया कर्ज जो कृषि एवं संबंधित कार्यकलापों से जुड़े हों, कृषि को प्रदत्त प्रत्यक्ष वित्त समझा जाएगा, बशर्ते संबंधित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों/माइक्रो क्रेडिट पोर्टफोलिओं पर अलग-अलग आंकड़े रखे गए हों।
दिसंबर	11	• रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का आरक्षित नकदी निधि अनुपात उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं के एक प्रतिशत प्वाईंट का आधा दो चरणों में बढ़ा दिया, 23 दिसंबर 2006 से प्रारंभ पखवाड़े से 5.25 प्रतिशत और 6 जनवरी 2007 से 5.50 प्रतिशत।
	15	• विवेकपूर्ण पूंजी बाजार मानक जैसे पूंजी बाजार एक्सपोजर के घटक, पूंजी बाजार में बैंकों के एक्सपोजर की सीमा आदि पर रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को संशोधित निर्देश /मानक जारी किए।
	18	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा गया कि ग्राहकों को ड्रॉप बॉक्स में चेक डालने को बाध्य न किया जाए। बैंकों को यह भी कहा गया कि चेक ड्रॉप बॉक्स पर वे यह संदेश लिखें, ग्राहक अपना चेक काउंटर पर भी जमा कर सकते हैं और जमा-पर्ची पर पावती ले सकते हैं।ट यदि ग्राहक काउंटर पर चेक जमा करता है तो कोई भी शाखा पावती देने से इंकार न करे। ऐसे ही आदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को 26 दिसंबर 2006 को और शहरी सहकारी बैंकों को 28 दिसंबर 2006 को जारी किए गए।
	20	• उदारीकृत प्रेषण योजना में संशोधन करके किसी भी चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के लिए 25,000 अमरीकी डॉलर की सीमा को बढ़ाकर रिज़र्व बैंक ने प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) 50,000 अमरीकी डॉलर कर दिया।
	22	• भारत सरकार से परामर्श करने के बाद प्रतिभूति बाजार जैसे स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉरपोरेशनों में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई है जो सेबी के विनियमों के अनुपालन और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगीः (i) 26 प्रतिशत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) और 23 प्रतिशत विदेशी संस्थागत निवेश (एफआइआइ) निवेश की अलग-अलग सीमा के साथ इन कंपनियों में 49 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति होगी, (ii) एफडीआइ के लिए एफआइपीवी की निर्दिष्ट पूर्व अनुमति आवश्यक होगी; और (iii) विदेशी संस्थागत निवेश (एफडीआइ) केवल सेकेंडरी मार्केट में खरीद के जरिये होगा।
2007		
जनवरी	4	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को संपत्तियों के मूल्य निर्धारण, बैंक की अपनी संपत्तियों के मूल्य के पुनर्निर्धारण और स्वतंत्र मूल्य निर्धारकों को पैनल में शामिल करने की नीति संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए।
	9	• रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा कि शेयर और स्टॉक ब्रोकरों की ओर से बैंकों द्वारा दी जानेवाली गारंटियों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत की मार्जिन और 25 प्रतिशत की न्यूनतम नकद मार्जिन वाली शर्त पण्य बाजार (कमोडिटि एक्सचेंज) विनियमावली के अनुसार मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं के बदले में, राष्ट्रीय स्तर पण्य बाजारों के पक्ष में बैंकों द्वारा कमोडिटि ब्रोकरों की ओर से दी गई गारंटियों के लिए भी लागू होगी।
	10	• भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला को पंजाब के नये जिले अर्थात् बरनाला के लिए अग्रणी (लीड) बैंक की जिम्मेदारी दी गई है।
	18	• रिज़र्व बैंक ने असम के नए जिलों अर्थात् उदालगुड़ी, चिरंग और बाक्सा के लिए भारतीय स्टेट बैंक को अग्रणी (लीड) बैंक बनाने का निर्णय लिया।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
जनवरी	29	• रिज़र्व बैंक ने कहा कि 21 अक्तूबर 2006 से द गणेश बैंक ऑफ कुरूंदवाड लि.ट का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है।
	31	• रिज़र्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत 31 जनवरी 2007 से नियत रेपो रेट को 25 आधार अंक बढ़ाकर 7.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। एलएएफ के अंतर्गत रिवर्स रेपो रेट 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा। • रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा कि बैंकों को दी जानेवाली स्थायी चलनिधि सुविधा (निर्यात ऋण वित्त) 31 जनवरी 2007 से रेपो रेट अर्थात् 7.50 प्रतिशत पर दी जाएगी। • रिज़र्व बैंक ने कहा कि अनूसूचित वाणिज्य बैंक केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों (डेटेड सिक्यूरिटिज) की शॉर्ट सेल कर सकते हैं, परंतु कवर की जाने वाली शॉर्ट पोजीशन अधिकतम पांच ट्रेडिंग दिनों की होगी जिसमें ट्रेड का दिन भी शामिल होगा। • रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा कि 31 जनवरी 2007 से पर्सनल लोन (क्रेडिट कार्ड से प्राप्त होने वाले भी), वैसे ऋण व अग्रिम जो पूंजी बाजार में लगाए गए माने जा सकते हैं और रियल इस्टेट लोन से संबंधित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान संबंधी अपेक्षाओं को एक प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत किया गया है। • रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा कि एक से तीन वर्ष की मैच्युरिटिवाले नये अनिवासी (बाह्य) रुपया (अनिवासी) सावधि जमाराशियों पर ब्याज दर पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस पर समान मैच्युरिटि वाले अमरीकी डॉलर के लिए लिबर/स्वैप दरों में 50 आधार अंकों के योग से अधिक नहीं होना चाहिए (पहले के लिबर/स्वैप रेट + 100 आधार अंक के स्थान पर जो 18 अप्रैल 2006 को कारोबार की समाप्ति के बाद से लागू हुआ था)।तीन वर्ष की जमाराशियों पर तय की गई उपर्युक्त ब्याज दर तीन वर्ष से अधिक की मैच्युरिटि पर भी लागू होगी। ब्याज दर में होने वाला परिवर्तन वर्तमान मैच्युरिटि के बाद नवीकृत किए जानेवाले अनिवासी जमाराशियों पर भी लागू होगा। रिज़र्व बैंक ने यह भी कहा कि 31 जनवरी 2007 को कारोबार की समाप्ति के बाद से प्रभावी सभी मैच्युरिटियों की एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज सबंधित मुद्रा के लिबर/स्वैप रेट की अधिकतम सीमा के अंदर तत्संबंधी मैच्युरिटि से 25 आधार अंक (मार्च 28,2006 को कारोबार की समाप्ति के बाद से लागू लिबर/स्वैप रेट के स्थान पर) कम होगा। फ्लोटिंग रेट वाली जमाराशियों पर, संबंधित मद्रा/मैच्युरिटि के स्वैप रेट की अधिकतम सीमा के अंदर /मैच्युरिटि से 25 आधार अंक कम होगा। फ्लोटिंग रेट की जमाराशियों के लिए ब्याज दर पुनर्निर्धारित की अवधि छह महीने की होगी। • रिज़र्व बैंक ने कहा कि बैंक अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों पर जमाकर्ताओं/थर्ड पार्टियों को बीस लाख से अधिक का नया ऋण न दें अथवा वर्तमान ऋण को नवीकृत न करें। यह अनुदेश तत्काल प्रभावी होगा। बैंकों को यह भी कहा गया कि अधिकतम सीमा से बचने के लिए कर्ज की राशि को कृत्रिम रूप से टुकड़ों में न बांटे।
फरवरी	12	• बैंक की स्वच्छ नोट नीति की दृष्टि से, मुद्रा तिजोरी वाले बैंकों को कहा गया कि वे अपनी मुद्रा तिजोरियों में नोट सॉर्टिंग मशीनें लगाकर नोटों की छँटाई (सॉर्टिंग) की प्रक्रिया को स्वचालित करें। रिज़र्व बैंक को भेजे जाने वाले गंदे बैंक नोटों में फिर से जारी करने योग्य नोटों की सह्य सीमा तत्काल प्रभाव से, प्रत्येक प्रेषण के वर्तमान के 10 प्रतिशत से बदल कर 5 प्रतिशत कर दी गई।
	14	• बैंकों को कहा गया कि आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत प्वाइंट का आधा, दो चरणों में बढ़ाया जाएगा जो यहां दिए जा रहे पखवाड़े से लागू होगा : लागू तारीख (अर्थात पखवाड़ा शुरू होने की तारीख) / निवल मांग और मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत) 17 फरवरी 2007 / 5.75 3 मार्च 2007 / 6.00
	21	• बैंकों को कहा गया कि वे अपने ग्राहकों को उदरवाजे परट (डोरस्टेप) सेवा देने के मामले में सामान्य सिद्धांत व मोटे तौर पर कुछ मानकों का निर्धारण करें तथा इस विषय में ग्राहकों के अधिकार व दायित्व के संबंध में पारदर्शिता, एवं व्यवहार में समानता सुनिश्चित करें और इसमें शामिल जोखिम के बारे में साफ-साफ बताएं। • बैंकों को अपने 'एजेंटो' को शिक्षित करने के बारे में उपयुक्त कदम उठाने को कहा गया ताकि वे जाली व खराब नोटों को पकड़ पाएं और फ्रॉड से बचा जा सके एवं ग्राहकों से झगड़ा न हो।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
फरवरी	22	• शिकायत निवारण प्रणाली को और प्रभावकारी बनाने के लिए बैंकों को कहा गया कि वे अपने बोर्ड/ग्राहक सेवा समिति को एक शिकायत विवरण और साथ ही प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण प्रस्तुत करें। शिकायतों का विश्लेषण इसलिए किया जाए कि (i) ग्राहक सेवा के उन क्षेत्रों का पता चले जहां से बार-बार शिकायतें मिलती हैं; (ii) शिकायतें ज्यादातर कहां (किस स्रोत) से आती हैं (iii) व्यवस्था में क्या खामियां हैं और (iv) शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समुसचित कार्रवाई की शुरूआत की जा सके।
मार्च	1	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा गया कि निम्नलिखित देयताओं पर 22 जून 2006 से औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात रखने से छूट दी जाएगी बशर्ते वे अपने कुल मांग और मीयादी देयताओं के 3 प्रतिशत की सांविधिक न्यूनतम आरक्षित नकदी निधि अनुपात रखें : (i) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(1) की व्याख्या के खंड (डी) के अनुसार भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (ii) एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) खातों (अमरीकी डॉलर) में जमा शेष राशि (iii) क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ संपार्श्विकीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता (सीबीएलओ) में लेनदेन और (iv) अपने विदेशी (ऑफशोर) बैंकिंग यूनिटों (ओबीयू) के संबंध में मांग और मीयादी देयताएं । • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को कहा गया कि भारत सरकार ने 9 जनवरी 2007 को उस दिन के रूप में अधिसूचित किया है जब भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 के सिवाय सभी प्रावधान लागू होंगे। 1. भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 में निम्नलिखित को हटाने की व्यवस्था है : i) देश में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक द्वारा तय की जाने वाली आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) की न्यूनतम और अधिकतम सीमा (ii) पात्र आरक्षित नकदी निधि अनुपात शेष राशि पर ब्याज देने का प्रावधान । 2. भारतीय रिज़र्व बैंक, अधिनियम 1934 की उप धारा 42 (5)(सी) के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि मांग और मीयादी देयताओं की गणना में मान्य सीआरआर छूटों के चलते जो बैंक 22 जून 2006 से 2 मार्च 2007 तक 3 प्रतिशत का न्यूनतम सांविधिक सीआरआर स्तर नहीं रख पाए, ऐसे बैंकों को दंड के रूप में लगने वाले ब्याज से छूट दी जाए। 3. रिज़र्व बैंक पात्र सीआरआर राशियों पर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को निम्नलिखित दर से ब्याज देगा : (क) सीआरआर अपेक्षा के तहत 24 जून 2006 से प्रारंभ पखवाड़े से दिसंबर 2006 तक रिज़र्व बैंक के पास रखे गए पात्र नकद शेष राशि पर 3.50 प्रतिशत प्रति वर्ष, (ख) सीआरआर अपेक्षा के अंतर्गत 9 दिसंबर 2006 से प्रारंभ पखवाड़े से 16 फरवरी 2007 तक रिज़र्व बैंक के पास रखे गए पात्र नकद शेष राशि पर 2.0 प्रतिशत, और (ग) 17 फरवरी 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से सीआरआर की आवश्यकता के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पास रखी गई पात्र नकद शेष राशि पर 1.0 प्रतिशत।
	2	• सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कहा गया कि भारत सरकार ने 9 जनवरी 2007 को उस दिन के रूप में अधिसूचित किया है जब भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम 2006 की धारा 3 के सिवाय सभी प्रावधान लागू होंगे। 1. कुल मांग और मीयादी देयताओं पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रखा गया प्रभावी सीआरआर 3 प्रतिशत से कम नहीं होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा (1) के तहत सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 17 फरवरी 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से अपनी कुल मांग और मीयादी देयताओं का 5.75 प्रतिशत और 3 मार्च 2007 से 6.00 प्रतिशत सीआरआर बनाए रखेंगे। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की उप धारा 42 (5)(सी) के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार मांग और मीयादी देयताओं की गणना में मान्य सीआरआर छूटों के चलते जो बैंक 22 जून 2006 से 2 मार्च 2007 तक 3 प्रतिशत का न्यूनतम सांविधिक सीआरआर स्तर नहीं रख पाए, उन बैंकों को दंडात्मक ब्याज से छूट दी जाएगी। 3. रिज़र्व बैंक पात्र सीआरआर की शेष राशि पर सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निम्नलिखित दर पर ब्याज देगा : (क) सीआरआर मानदंड के अंतर्गत 24 जून 2006 से प्रारंभ पखवाड़े से 8 दिसंबर 2006 तक रिज़र्व बैंक के पास रखे गए पात्र नकद शेष राशि पर 3.50 प्रतिशत प्रति वर्ष, (ख) सीआरआर के अपेक्षानुसार 9 दिसंबर 2006 से प्रारंभ पखवाड़े से 16 फरवरी 2007 तक रिज़र्व बैंक के पास रखे गए पात्र नकद शेष राशि पर 2.0 प्रतिशत और (ग) 17 फरवरी

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
		2004 से प्रारंभ पखवाड़े से सीआरआर की आवश्यकता के अनुसार रिजर्व बैंक के पास रखी गई पात्र नकद शेष राशि पर 1.0 प्रतिशत।
मार्च	2	• सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कहा गया कि निम्नलिखित देयताओं पर 22 जून 2006 से औसत सीआरआर रखने से छूट दी जाएगी बशर्ते वे अपनी कुल मांग और मीयादी देयताओं के 3 प्रतिशत की सांविधिक न्यूनतम सीआरआर बनाए रखें :(i) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) की व्याख्या के खंड (डी) के अनुसार भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (ii) क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता (सीबीएलओ) में लेनदेन। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा गया कि 5 मार्च 2007 (सोमवार) से दैनिक रिवर्स रेपो अवशोषण (एबजॉर्प्शन) को प्रतिदिन अधिकतम 3,000 करोड़ रुपए तक सीमित किया जाएगा, जिसमें कि प्रथम चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) में 2,000 करोड़ रुपए और दूसरे एलएएफ में 1,000 करोड़ रुपए होंगे। यदि प्रस्तुत राशि इन राशियों से अधिक की होगी तो आबंटन सामान्यतः आनुपातिक आधार पर किए जाएंगे। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को कहा गया कि 5 मार्च 2007 (सोमवार) से दैनिक रिवर्स रेपो अवशोषण (एबजॉर्प्शन) को प्रतिदिन अधिकतम 3,000 करोड़ रुपए तक सीमित किया जाएगा, जिसमें कि प्रथम चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) में 2,000 करोड़ रुपए और दूसरे एलएएफ में 1,000 करोड़ रुपए होंगे। यदि प्रस्तुत राशि इन राशियों से अधिक की होगी तो आबंटन सामान्यतः आनुपातिक आधार पर किए जाएंगे।
	6	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा गया कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के हर प्रकार के ऋण, चाहे वह कितनी भी राशि का हो, से संबंधित आवेदन फॉर्म व्यापक हो उसमें हर तरह की सूचना हो जैसे- प्रोसेसिंग की कोई फीस हो तो, आवेदन नामंजूर होने पर वापस की जाने वाली राशि, पूर्व भुगतान (प्री पेमेंट) का विकल्प और ऐसी कोई भी जानकारी/विषय जिससे उधार लेनेवाले का हित जुड़ा हो, ताकि अन्य बैंकों से एक सार्थक तुलना की जा सके और उधारकर्ता पर्याप्त जानकारी के आधार पर अपना निर्णय ले सके।
	7	• दि यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि. का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से 25 नवंबर 2006 से हटा दिया गया है।
	13	• अनर्जक खातों में विशिष्ट प्रावधान करने के लिए असाधारण परिस्थितियों में आकस्मिकताओं के लिए ही बैंकों को फ्लोटिंग प्रोविजन का उपयोग करना है और वह भी अपने बोर्ड के अनुमोदन और रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से। ये असाधारण परिस्थितियां तीन प्रकार की हो सकती हैं - यथा सामान्य बाजार और ऋण संबंधी। सामान्य के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, जहां देश में आंतरिक गड़बड़ी, असंतोष या देश की मुद्रा के अचानक ध्वस्त हो जाने जैसे कारणों के चलते बैंक को अप्रत्याशित घाटा हो जाए। प्राकृतिक आपदा और महामारी भी सामान्य वर्ग में आ सकती हैं। बाजार के अंतर्गत बाजार का गिर जाना आता है जिससे पूरी वित्तीय प्रणाली प्रभावित होती है। 'ऋण' की श्रेणी में केवल अपवादात्मक ऋण क्षति को असाधारण परिस्थिति माना जा सकता है।
	14	• बैंकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि किसान विकास पत्र सहित अल्प बचत लिखतों को प्राप्त करने / इनमें निवेश करने के लिए कोई ऋण मंजूर न किया जाए।
	16	• बैंकों को कहा गया कि लोक भविष्य निधि योजना, 1968 (पीपीएफ) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 (एससीएसएस) के तहत लेनदेन हेतु पारिश्रमिक (रेम्युनरेशन) के लिए भुगतान का एक ही चैनल काम में लाया जाएगा। तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक पीपीएफ और एससीएसएस संबंधी लेनदेन के लिए निम्नलिखित दरों पर एजेंसी कमीशन का भुगतान करेगा : (क) प्राप्तियां - 45 रुपए प्रति लेनदेन (ख) भुगतान - प्रति 100/- रुपए के टर्नओवर पर 9 पैसे। इस प्रकार दरों में संशोधन के बाद भारत सरकार पीपीएफ और एससीएसएस के संचालन के लिए भुगतान करना बंद कर देगी। ये दरें पीपीएफ लेनदेनों के लिए 1 जुलाई 2005 से और एससीएसएस लेनदेनों के लिए 1 अप्रैल 2006 से लागू होंगे।
	20	• स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी)और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर सभी वाणिज्य बैंकों को कहा गया कि नये पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन पर संशोधित ड्राफ्ट दिशानिर्देश को विचार विमर्श के दूसरे राउंड के लिए तीन हफ्तों के लिए राय और टिप्पणियों के लिए खुला रखा जाएगा।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

<table>
<tr><th colspan="2">घोषणा की तारीख</th><th>उपाय</th></tr>
<tr><td colspan="3">2007</td></tr>
<tr><td rowspan="3">मार्च</td><td>21</td><td>• केंद्र व राज्य सरकार के लेनदेनों की भारतीय रिज़र्व बैंक में रिपोर्टिंग के लिए समय-सीमा में एकरूपता लाने के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (काम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया) के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के लेनदेन में लागू होनेवाले वर्तमान तरीके को राज्य सरकार लेनदेन के लिए भी लागू किया जाए। तदनुसार (क) स्थानीय लेनदेन - रिजर्व बैंक के साथ लेनदेन का निपटारा टी+3 कार्य दिवसों (यहां 'टी' वह दिन है जब बैंक ब्रांच को पैसा उपलब्ध हो जाता है) में होगा; (ख) बाहरी केंद्र के लेनदेन - रिज़र्व बैंक के साथ लेनदेन का निपटारा टी+5 कार्य दिवसों में होगा; (ग) स्थानीय और बाहरी केंद्र के लेनदेन के लिए, पुट थ्रू डेट अर्थात् रिज़र्व बैंक के साथ निपटारे का दिन क्रमशः टी+3 और टी+5 कार्य दिवसों को इस समय सीमा के बाहर रखा जाएगा; (घ) देर की अवधि के लिए लगाया जानेवाला ब्याज लेनदेन के दिन से नहीं बल्कि उस अवधि के लिए होगा जितनी देर वास्तव में हुई है; (ङ) एक लाख रुपए और उससे अधिक के लेनदेन में विलंब पर लगने वाला ब्याज बैंक दर +2 प्रतिशत का होगा; और एक लाख रुपए से कम के प्रत्येक लेनदेन के लिए विलंबित अवधि का ब्याज बैंक दर पर 5 कैलेंडर दिवसों के लिए होगा और यदि देरी 5 कैलेंडर दिवसों से अधिक की होगी तो देरी की पूरी अवधि के लिए बैंक दर+ 2 प्रतिशत पर ब्याज लगाया जाएगा और संशोधित प्रक्रिया 1 अप्रैल 2007 से लागू होगी।</td></tr>
<tr><td>30</td><td>• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को बताया गया कि 3 अप्रैल 2007 से पीडीओ -एनडीएस की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के सब मॉड्यूल में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:
i) पीडीओ-एनडीएस से अब अनुसूचित वाणिज्य बैंक और प्राथमिक व्यापारी (प्राइमरी डीलर) एसडीएल को एलएएफ रेपो के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को पात्र प्रतिभूतियों के रूप में दे सकेंगे। एसडीएल के मामले में 10 प्रतिशत का मार्जिन लगाया जाएगा अर्थात् 100 रुपए के रेपो बिड के लिए 110 रुपए (अंकित मूल्य) के एसडीएल का समर्थन आवश्यक होगा।
ii) सहायक सामान्य खाता वही (एसजीएल) अकाउंट से आरसीएसजीएल अकाउंट में प्रतिभूतियों का अंतरण और आरसी एसजीएल से एसजीएल में अब सदस्य द्वारा एलएएफ में आरसी अंतरण (ट्रांसफर) या आरसी आहरण (विथड्राअल) के जरिये (ट्रांसफर ऑर्डर बुकिंग फंक्शनलिटि के अंतर्गत) लोक लेखा विभाग (पीएडी) (प्रतिभूति अनुभाग) के अनुमोदन बिना ही किया जा सकता है। तथापि, आरसीएसजीएल अकाउंट में उपलब्ध शेष राशियों को अब तक की तरह, एलएएफ के अलावा अन्य किसी लेनदेन के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता।
iii) किसी रेपो लेनदेन के तैयार चरण (रेडी लेग) के लिए जिन सदस्यों के पास आरसी एसजीएल अकाउंट में पर्याप्त प्रतिभूतियां नहीं हैं, उन्हें इस कमी के बारे में पीडीओ-एनडीएस पर संदेश देकर एलर्ट किया जायेगा । बिड बंद होने के समय के 15 मिनटों के भीतर इस कमी की पूर्ति करनी होगी, अन्यथा बिड को रद्द किया जा सकता है।
• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा गया कि एलएएफ के अंतर्गत नियत रेपो रेट 31 मार्च 2007 से 7.75 प्रतिशत कर दिया गया है। तदनुसार 31 मार्च 2007 से बैंकों को रिज़र्व बैंक की ओर से दी जाने वाली स्थायी चलनिधि सुविधा (निर्यात ऋण पुनर्वित्त) (संपार्श्वीकृत चलनिधि सहायता) रेपो रेट अर्थात् 7.75 प्रतिशत पर उपलब्ध होगी।
• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा गया कि चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नियत रेपो रेट को 31 मार्च 2007 से 7.50 प्रतिशत से 25 आधार अंक बढ़ाकर 7.75 प्रतिशत कर दिया गया है। एसएएफ के अंतर्गत रिवर्स रेपो रेट 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">अप्रैल</td><td>3</td><td>• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कहा गया कि यह निर्णय लिया गया है कि स्वर्ण (धातु) ऋण - जो वे उन आभूषण निर्माताओं को देते थे जो आभूषणों के निर्यात का काम नहीं करते थे - की अवधि के बारे में नामित बैंक स्वयं निर्णय ले सकते हैं बशर्ते समय सीमा 180 दिनों से अधिक की न हो तथा अवधि एवं स्वर्ण ऋण के उपयोग की निगरानी को बैंक की ऋण संबंधी नीति में समुचित रूप से दर्ज किया गया हो और इसका कड़ाई से पालन किया जाए।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कहा गया कि आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीसीएल) के एक प्रतिशत का आधा दो चरणों में बढ़ाने का निर्णय लिया गया है जो कि नीचे बताए जा रहे पखवाड़े से प्रभावी होगा :
<table>
<tr><th>लागू होने की तारीख (अर्थात् निम्नोक्त तारीख से प्रारंभ पखवाड़ा)</th><th>निवल मांग और मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत)</th></tr>
<tr><td>14 अप्रैल 2007</td><td>6.25</td></tr>
<tr><td>28 अप्रैल 2007</td><td>6.50</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
		तथापि, कुल मांग और मीयादी देयताओं पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रखा जानेवाला प्रभावी सीआरआर 3.00 प्रतिशत से कम नहीं होगा, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में निर्धारित किया गया है। 14 अप्रैल 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को वर्तमान सीआरआर अपेक्षा के अनुसार रिज़र्व बैंक के पास रखी गई पात्र नकद शेष राशि पर 0.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा।
अप्रैल	4	• भारत सरकार ने 16 जून 2006 को अति लघु (माइक्रो) लघु (स्माल) और मध्यम (मीडियम) उद्योग विकास (एमएसएमइडी) अधिनियम, 2006 का अधिनियमन किया जिसे 2 अक्तूबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। निर्माण या उत्पादन में लगे हुए या सेवा देने या करने वाले माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा में बदलाव किया गया और अन्य नीतिगत उपायों के साथ बैंकों द्वारा इसका कार्यान्वयन तत्काल किया जाना था। मध्यम उद्योगों को बैंक का ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाएगा।
	10	• प्रधान मंत्री रोजगार योजना लागू करने वाले बैंकों के वर्ष 2006 -07 में खराब प्रदर्शन को देखते हुए कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यक्रम वर्ष 2006-07 के लिए मंजूरी की वैधता को और वितरण को पूरा करने के समय को 30 जून 2007 तक बढ़ा दिया। तदनुसार बैंकों को कहा गया कि वे इस समय सीमा का कड़ाई से पालन करें और कार्यक्रम वर्ष 2006-07 के अंतर्गत मंजूरी दिए गए मामलों के संबंध में वितरण 30 जून 2007 तक पूरा कर लें।
	11	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि ग्राहकों द्वारा दिए गए रुपए के अंश वाले चेक/ड्राफ्टों को रद्द या अस्वीकृत (डिसऑनर) न किया जाए।
	12	• बैंकों को सूचित किया गया कि उनके द्वारा वित्तपोषित ढांचागत परियोजनाओं के मामले में परियोजना की वित्तीय लेखाबंदी के समय उस परियोजना के पूरी होने की तारीख का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए और यदि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख प्रारंभ में निर्धारित अनुसार परियोजना के पूरी होने की तारीख से एक साल से अगे बढ़ जाती है तो उक्त खाते को अवमानक खाता माना जाना चाहिए। संशोधित अनुदेश 31 मार्च 2007 से लागू हुए।
	13	• अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों/धनशोधन निवारण मानकों/उग्रवाद वित्तपोषण के विरुद्ध संघर्ष (सीएफटी) - तार अंतरण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए, जिनमें बैंकों को अनुदेश दिए गए कि वे प्रारंभकर्ता के बारे में यथार्थ और अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त करें।
	17	• लोक सेवाओं के संबंध में क्रियाविधियों और कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा (सीपीपीएपीएस) के संबंध में समिति की सिफारिशों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने लॉकरों के सुगमतापूर्वक परिचालनों के लिए सुरक्षित जमा लॉकरों/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जारी सभी दिशानिर्देशों की समीक्षा की और नए दिशानिर्देश जारी किए गए।
	18	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि लेखांकन मानक 17 (सेगमेंट रिपोर्टिंग) - प्रकटीकरणों में वृद्धि के संबंध में दिशानिर्देशों की अधिकाधिक पारदर्शिता की आवश्यकता के आलोक में, समीक्षा की गई थी। चूंकि 'अन्य बैंकिंग व्यवसाय' अनुभाग बहुत बड़ा है और उससे तुलनपत्र में पर्याप्त पारदर्शिता प्रकट नहीं होती थी, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इस अनुभाग को निम्नलिखित तीन वर्गों अर्थात कंपनी/थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग और अन्य बैंकिंग परिचालनों में बांट दिया जाए। तदनुसार बैंक 31 मार्च 2008 से लोक सूचना प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित व्यवसाय अनुभागों को अपनाएंगे : (क) ट्रेजरी (ख) कंपनी/थोक बैंकिंग (नया) (ग) खुदरा बैंकिंग, (नया) (घ) अन्य बैंकिंग व्यवसाय। भौगोलिक अनुभाग 'देशी' और 'अंतरराष्ट्रीय' के रूप में अपरिवर्तित रहेंगे।
	20	• बैंक अपनी परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) प्रतिभूतियों पर लाभ के परिशोधन (एमॉर्टाइजेशन) के लिए भिन्न-भिन्न लेखांकन पद्धतियां अपना रहे थे, इसलिए उन्हें सूचित किया गया कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित तुलनपत्र तथा लाभ-हानि खाते के फॉर्मेट को देखें, जिसमें निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि के लेखांकन का उल्लेख है। उक्त प्रतिभूति का बही मूल्य संगत लेखांकन अवधि के दौरान परिशोधित की गई राशि की सीमा। इस पहलू के लेखांकन में समानता लाने की दृष्टि से, बैंकों को सूचित किया गया कि 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के विवरणों सहित, अपने वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देते समय सही लेखांकन विधि अपनानी चाहिए। i) भारत सरकार ने 9 मार्च 2007 की अपनी असाधारण गजट अधिसूचना सं.एसओ 337(ई) में 1 अप्रैल 2007 को उस तिथि के रूप में अधिसूचित किया है जब भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 के उपबंध लागू हुए। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा (1) में किया गया संशोधन 1 अप्रैल 2007 को लागू हो गया। तदनुसार, कुल मांग और मीयादी देयताओं की सांविधिक न्यूनतम 3 प्रतिशत नकदी प्रारक्षित अनुपात की आवश्यकता उक्त अधिसूचित तारीख से नहीं रही।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

<table>
<tr><th colspan="2">घोषणा की तारीख</th><th>उपाय</th></tr>
<tr><td colspan="3">2007</td></tr>
<tr><td rowspan="4">अप्रैल</td><td rowspan="4"></td><td>भारतीय रिज़र्व बैंक देश में मौद्रिक स्थायित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर बिना किसी आधार दर और उच्चतम दर के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात निर्धारित कर सकता है।

ii) यह निर्णय लिया गया कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखे जा रहे आरक्षित नकदी निधि अनुपात की वर्तमान दर को जारी रखा जाए और उन वर्तमान छूटों के बारे में अधिसूचित किया गया जो अगले परिवर्तनों तक जारी रहेगी। तदनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपनी कुल मांग और मीयादी देयताओं पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात रखना जारी रखेंगे ।
<table>
<tr><th>प्रभावी तारीख (निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ होनेवाला पखवाड़ा)</th><th>निवल मांग और मीयादी देयताओं पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत)</th></tr>
<tr><td>14 अप्रैल 2007</td><td>6.25</td></tr>
<tr><td>28 अप्रैल 2007</td><td>6.50</td></tr>
</table>
iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 के लागू होने के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप धारा (1ख) 1 अप्रैल 2007 से समाप्त हो गई है। उक्त संशोधन से सामंजस्य रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि रिज़र्व बैंक 31 मार्च 2007 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखे गए नकदी प्रारक्षित अनुपात शेषों पर कोई ब्याज नहीं देगा।</td></tr>
<tr><td>20</td><td>• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि उन्हें निम्नलिखित पर)1 अप्रैल 2007 से औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात रखने से छूट दी जाएगी :(i) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के अपेक्षानुसार भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं; (ii) एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) में जमा शेष (अमरीकी डॉलर) खाते; (iii) क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआईएल) के साथ संपार्श्विकीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता संबंधी लेनदेन और (iv) उनकी अपतटीय बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) की मांग और मीयादी देयताएं।</td></tr>
<tr><td>25</td><td>• बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी कोई बैंक शाखा/स्टाफ कम मूल्यवर्ग के नोट और / या सिक्के स्वीकार करने से इनकार न करें। वे यह भी सुनिश्चित करें कि सभी स्टाफ सदस्यों को संबंधित अनुदेशों की पूरी जानकारी है और उनका सख्ती से पालन करना भी सुनिश्चित किया जाए। किसी स्टाफ सदस्य द्वारा इनकार करने/ अनुदेशों का पालन न करने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उसी प्रकार के दिशानिर्देश 10 मई 2007 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जारी किए गए।</td></tr>
<tr><td>27</td><td>• भारत सरकार ने सूचित किया है कि उन राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर जहां अल्पसंख्यक जातियां बहुमत में हैं (जम्मू और कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड और लक्षद्वीप), 103 अल्प संख्यक संकेन्द्रण वाले जिलों में ऋण प्रवाह की निगरानी की जानी चाहिए, जिनमें अल्पसंख्यकों की जनसंख्या न्यूनतम 25 प्रतिशत है। उक्त आंकड़े 01 अप्रैल 2007 से प्रारंभ करते हुए छमाही अंतराल पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने नियंत्रक कार्यालयों और शाखाओं को आवश्यक अनुदेश जारी करें कि वे वर्तमान के 44 ज़िलों की बजाय अब 103 जिलों में अल्पसंख्यकों को ऋण प्रवाह की विशेष रूप से निगरानी करें।

• पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन के संबंध में विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे को कार्यान्वयन हेतु अंतिम रूप दिया गया।</td></tr>
<tr><td>30</td><td>• अनुसूचित वाणिज्य बैंक, लघु और सीमांत कृषकों, साझी खेती करने वालों और इसी प्रकार के उधारकर्ताओं को 50,000 रुपए तक के छोटे ऋणों के लिए 'कोई देयता नहीं' प्रमाणपत्र की आवश्यकता को तुरंत समाप्त करें और उसके स्थान पर उधारकर्ता से स्व-घोषणा प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त बैंक भूमिहीन मजदूरों, साझी खेती करने वालों और मौखिक रूप से पट्टेदारों को ऋण देने के मामले में खेती करने के संबंध में स्थानीय प्रशासन/पंचायत राज संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणपत्र स्वीकार कर सकते है।

• प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधारों के संबंध में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।

• भारत सरकार, ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में जहां जमाकर्ता की जमाराशियों की अवधिपूर्णता से पहले मृत्यु हो गई हो और नामिती/कानूनी वारिस उक्त जमा खाते को बंद करने के लिए बैंक से संपर्क करें तो ऐसे मामलों में नामिती/कानूनी वारिस उक्त जमाकर्ता की मृत्यु की तारीख से उक्त खाते के बंद होने की तारीख तक की अवधि के लिए, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), 2004 के अंतर्गत बचत बैंक की ब्याज दर के पात्र है।

• एजेंसी बैंकों से यह आशा की जाती है कि वे सरकारी लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक रूप में करने के लिए ईसीएस/ईएफटी सुविधाएं प्रदान करके ग्राहकों को समर्थ बनाने का वातावरण और सुविधाएं प्रदान करें।</td></tr>
</table>

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
मई	3	• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) कुछ शर्तों के अधीन जोखिम में भाग लिए बिना स्वास्थ्य तथा पशु बीमा सहित, सभी प्रकार के बीमा उत्पादों (प्रोडक्ट) के वितरण के लिए कार्पोरेट एजेंसी का कारोबार कर सकते हैं: जोखिम सहभागिता रहित बीमा उत्पादों के वितरण के लिए कार्पोरेट एजेंसी कारोबार करने के लिए बैंकों को रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, बीमा एजेंसी कारोबार प्रारंभ करने की तारीख से 15 दिन के अंदर भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (आरपीसीडी) को एक रिपोर्ट भेज दी जानी चाहिए। • बैंकों को सूचित किया गया कि रिहायसी आवास संपत्तियों के बंधक पर व्यक्तियों को दिए गए 20 लाख रुपए तक के आवास ऋणों के संबंध में जोखिम भार को 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत किया गया है। उसी प्रकार, बंधक समर्थित उन प्रतिभूतियों में बैंक के निवेश का जोखिम भार 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत किया गया है जो प्रतिभूतियां आवास ऋण से समर्थित हो तथा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा नियंत्रित आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी की गई हों। चूक की स्थिति का अनुभव तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए घटाए गए जोखिम भार की समीक्षा की जाएगी।
	7	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे समुचित अंतरिक नीतियां तथा प्रक्रियाएं बनाएं ताकि ऋण तथा अग्रिमों पर, प्रोसेसिंग तथा अन्य प्रभार सहित, कुसीदात्मक ब्याज न लगाना पड़े। • बैंकों को सूचित किया गया कि वे समुचित टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वित्तीय समावेशन के प्रयासों में तेजी लाए। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो सॉल्यूशन्स विकसित किए जाएं वे अति सुरक्षित हों, उसका ऑडिट किया जा सकता हो तथा वह व्यापक रूप से स्वीकृत ओपन स्टैंडर्ड पर आधारित हो ताकि विभिन्न बैंकों द्वारा अपनायी गई विविध प्रणालियों के बीच सामंजस्य स्थापित हो सके।
	8	• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एसएलआर प्रतिभूतियों में उनके निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य (मार्क टू मार्केट) मानदंड से वित्तीय वर्ष 2006-07 तक के लिए जो छूट दी गई थी उसे एक और वर्ष अर्थात् वर्ष 2007-08 तक के लिए बढ़ाया गया। तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बही मूल्य के आधार पर मूल्यांकन तथा प्रतिभूतियों की शेष अवधि तक प्रिमियमों के परिशोधन, यदि कोई हो, की शर्त पर एसएलआर प्रतिभूतियों के समग्र निवेश पोर्टफोलियों को वर्ष 2007-08 के लिए ज्परिपक्वता तक धारितट श्रेणी में रखने की छूट होगी।
	10	• भारत में बैंकों को अनुमति दी गई की वे भारतीय कंपनियों (जिसमें भारतीय कंपनी का शेयर 51 प्रतिशत से अधिक हो) की सब्सिडियरी की विदेश स्थित पूर्णतः स्टेप डाउन सब्सिडियरी को विद्यमान विवेकपूर्ण सीमाओं तथा कतिपय अतिरिक्त रक्षोपाय के अंतर्गत निधिक तथा/अथवा गैर निधिक ऋण सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी गई।
	14	• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि वे माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा ठ चूककर्ता कंपनियोंड के रूप में घोषित कंपनी/कंपनियों के कोई भी रुपया लेनदेन बैंक में करने की अनुमति न दें। तदनुसार, इस संबंध में सभी शाखाओं को तत्काल सूचित कर दिया जाए तथा इस आदेश के अनुपालन की सूचना दी जाए।
	15	• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि वे समुचित आंतरिक नीतियां तथा प्रक्रियाएं बनाएं ताकि उन्हें ऋण तथा अग्रिमों पर प्रोसेसिंग तथा अन्य प्रभार सहित, कुसीदात्मक ब्याज न लगाना पड़े।
	16	• अनर्जक आस्तियों की खरीद /बिक्री संबंधी 13 जुलाई 2005 के पूर्व के दिशानिर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) को सूचित किया गया कि अनुमानित नकदी प्रवाह का कम-से-कम 10 प्रतिशत प्रथम वर्ष में प्राप्त किया जाए तथा उसके बाद प्रति छमाही में कम-से-कम 5 प्रतिशत प्राप्त किया जाए तथा तीन वर्ष के अंदर पूरी वसूली हो जानी चाहिए। संशोधित दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। • अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अनुमति दी गई कि वे एकल संस्था क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में कारोबार कर सकते हैं।
	17	• 1 अप्रैल 2007 से भारत ओवरसीज़ बैंक का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया।
	18	• प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र - कमजोर वर्ग को उधार देने संबंधी संशोधित दिशानिर्देश अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जारी किए गए।
	21	• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि वे समुचित टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वित्तीय समावेशन के प्रयासों में तेजी लाएं। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो सॉल्यशन्स विकसित किए जाएं वे अति सुरक्षित हों, उसका ऑडिट किया जा सकता हो तथा वह व्यापक रूप से स्वीकृत ओपन स्टैंडर्ड पर आधारित हो ताकि विभिन्न बेंकों द्वारा अपनायी गई विविध प्रणालियों के बीच सामंजस्य स्थापित हो सके। • सीमा पार तार अंतरणों तथा आंतरिक तार अंतरणों के संबंध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के अंतर्गत दिशानिर्देश जारी किए गए।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
मई	21	• एजेंसी कमीशन - लोक भविष्य निधि योजना, 1968 (पीपीएफ) तथा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 (एसीसीएसएस) के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किए गए।
	24	• रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संशोधित बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 का पालन करने का निदेश दिया। • बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को निम्नलिखित बातों के लिए अनुमति दी गयीः (i) काउंटर पर प्राप्त चेक के बदले अथवा फोन बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग जैसे सुरक्षित व सुविधाजनक चैनल से प्राप्त अनुरोध पर ग्राहकों (कार्पोरेट ग्राहकों/सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि) के द्वार तक नकदी/ड्राफ्ट पहुंचाना तथा (ii) काउंटर पर प्राप्त चेक के बदले अथवा फोन बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग जैसे सुरक्षित व सुविधाजनक चैनल से प्राप्त अनुरोध पर कार्पोरेट ग्राहकों/सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के द्वार तक नकदी /ड्राफ्ट पहुंचाना, बशर्ते बैंक द्वारा यूजर की सही पहचान सहित टेक्नोलॉजी तथा सुरक्षा संबंधी मानक अपनाया गया हो तथा इस प्रकार के लेनदेन संबंधी पर्याप्त बचाव /रक्षोपाय किए जाएं।
	25	• यह निर्णय लिया गया कि जम्मू और कश्मीर राज्य के उधारकर्ताओं /ग्राहकों को प्रदत्त रियायत/ऋण सहुलियतें एक और वर्ष अर्थात् 31 मार्च 2008 तक के लिए बरकरार रहेंगी।
	29	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के लिए 3,75,690 हिताधिकारियों का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये लक्ष्य राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों के वर्ष 2005-06 के अंतिम कार्यनिष्पादन रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। जिन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में मार्च 2006 को समाप्त अर्धवर्ष में ऋण की वसूली 35 प्रतिशत से कम थी उनसे आग्रह किया गया कि ऋण की वसूली में सुधार हेतु योजना के कार्यान्वयन से जुड़े बैंकों द्वारा उपयुक्त कार्य-योजना तैयार की जाए। योजना संबंधी नियम व शर्तें प्रधान मंत्री रोजगार योजना के संशोधित दिशानिर्देश से नियंत्रित होंगी।
	31	• बैंकों को सूचित किया गया कि 8 प्रतिशत बचत (करयोग्य) बांड, 2003 पर वित्तीय वर्ष के दौरान दस हजार रुपए से अधिक ब्याज की राशि देय हो तो उस पर जून 2007 से श्रोत पर कर की कटौती करना आवश्यक है।
जून	6	• सरकारी क्षेत्र के बैंकों के केंद्रीय तथा शाखा लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक वर्ष 2006-07 से संशोधित किए गए।
	8	• भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अनभिज्ञता के कारण जमाकर्ताओं (वरिष्ठ नागरिक बचत योजना - 2004) द्वारा एक ही लेखा कार्यालय में एक ही कैलेंडर माह में खोले गए एकाधिक खातों को सबसे पहले खोले गए खाते में समेकित करके नियमित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि समेकित खातों (अथवा बंद किए गए खाते) की राशि पर बीच की अवधि अर्थात पहला खाता खोलने की तारीख से दूसरा/अनियमित दूसरा खाता जिसे पहले खाते में मिला दिया गया है, खोलने की तारीख तक के लिए कोई ब्याज प्राप्त नहीं होगा। यह समामेलन तथा खाते में स्थित समेकित राशि भी योजना की अन्य नियम व शर्तों के अधीन होगी।
	13	• बैंकों को सूचित किया गया कि विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना के अंतर्गत ऋण की सीमा 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए की गई है तथा आवास ऋण की सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर प्रति हिताधिकारी 20,000 रुपए की गई है।
	15	• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि बैंक शाखा रहित जिलों में शाखाएं खोलने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि 11 जुलाई 2006 के परिपत्र आरपीसीडी.सीओ.आरआरबी. सं.बीएल.बीसी/11/03.05.90-ए/2006-07 के पैराग्राफ 1.2 की क्रम संख्या (iii) से (iv) तक में निर्धारित शर्तों का अनुपालन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंधित अधिकार प्राप्त समिति के स्वविवेक पर छोड़ दिया जाए।
	19	• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान के क्षेत्र में और अधिक कारोबारी अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्हें जोखिम संबंधी विद्यमान सीमा के अधीन, अपने प्रायोजक बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों और विकास वित्तीय संस्थाओं (डीएफआई) के साथ मिलकर संघीय (कन्सोर्टियम) ऋण व्यवस्था में भाग लेने की अनुमति दी गई है। यह अनुमति इस शर्त पर है कि वित्तपोषण की जानेवाली परियोजना संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के परिचालन क्षेत्र में हो तथा इस संबंध में उसके प्रायोजक बैंक द्वारा मार्गदर्शन देने के साथ-साथ परियोजना का मूल्यांकन किया जाए।
	21	• बैंकों द्वारा ऋण की पुनर्संरचना/पुर्नव्यवस्था पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश का प्रारूप अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) को जारी किए गए।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
जून	22	• उदारीकरण की गति को और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को डेटा प्रोसेसिंग, दस्तावेजों के सत्यापन तथा प्रोसेसिंग, चेक बुक, मांग ड्राफ्ट आदि की जारी जैसे केवल बैंक ऑफिस के कार्य तथा उनके बैंकिंग कारोबार से जुड़े अन्य संबंधित कार्य करने के लिए सेवा शाखा/केंद्रीय प्रोसेसिंग केंद्र(सीपीसी) / बैक ऑफिस स्थापित करने की अनुमति दी गई। इन कार्यालयों में ग्राहकों के साथ लेनदेन नहीं होगा तथा इन्हें सामान्य बैंकिंग शाखा में परिवर्तित करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। इन कार्यालयों को अन्य शाखा की तरह माना जाएगा तथा इसे खोलने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से आवश्यक लाइसेंस लेना होगा।
	28	• केंद्रीय बजट 2007-08 में की गई घोषणा के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई। रुपए में अनिवासी (सामान्य/बाह्य) खाता खोलने/रखने के लिए प्राधिकृत करने हेतु निर्धारित पात्रता संबंधी मानदंडों की भी समीक्षा दी गई। • बैंकों को सूचित किया गया कि कारोबार के रूप में ''पेंशन निधि प्रबंधक के रूप में कार्य करना'' बैंकिंग कंपनी के लिए वैध कारोबार होगा। बैंक, पेंशन निधि प्रबंधन का कार्य इस प्रयोजन हेतु गठित सहायक संस्था (सब्सिडियरी) के जरिए कर सकते हैं बशर्ते वे पेंशन निधि प्रबंधकों के लिए पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित मानदंड पूरा करते हों।
जुलाई	3	• क्रेडिट कार्ड धारकों से प्राप्त शिकायतों तथा दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) से जुड़े विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कतिपय उपाय कर रहा है। ट्राई ने यूसीसी को रोकने के लिए दूरसंचार अवांछित वाणिज्यक संचार (यूसीसी) विनियमावली 2007 तैयार की है। तद्नुसार बैंकों को सूचित किया गया है कि वे कुछ अनुदेशों का पालन करें।
	11	• भारत सरकार ने 20 अप्रैल 2007 की अधिसूचना द्वारा 1 मई 2007 से एक वर्ष के लिए चीनी का 20 लाख टन का सुरक्षित भंडार स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार चीनी विकास निधि से 378 करोड़ रुपए की उपदान राशि जारी करेगी तथा चीनी के वर्तमान स्टॉक से सुरक्षित भंडार बनाए जाने के कारण मार्जिन की राशि जारी करने के लिए बैंकों को 420 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण सीमा की स्वीकृति देनी होगी।
	16	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि भारत सरकार ने 103 अल्पसंख्यक वर्ग संकेंद्रित जिलों की सूची में 18 और जिलों को शामिल किया है जिसके कारण ऐसे जिलों की संख्या 121 हो गई है। बैंकों को पूर्व के 103 जिलों के मुकाबले अब विशेष रूप से 121 जिलों में अल्पसंख्यक वर्गों को ऋण की उपलब्धता पर ध्यान देना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के समग्र लक्ष्य के भीतर अल्पसंख्यक वर्गों को ऋण का समुचित हिस्सा प्राप्त हो सके।
	25	• सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सांविधिक केंद्रीय तथा शाखा लेखा परीक्षकों को वर्ष 2006-07 से देय पारिश्रमिक के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए।
	31	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर)/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं /गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सूचित किया गया कि सेबी ने फिम्डा को कार्पोरेट बांडों के लिए रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए अनुमति दे दी है। यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि इस रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म में रिपोर्ट किए गए तथा बीएसई तथा एनएसई में रिपोर्ट किए गए कारोबार को उपयुक्त मूल्य संवर्धन के साथ एकीकृत करना होगा। फिम्डा ने इस प्लेटफॉर्म को, जिसे अभी परीक्षण के तौर पर चलाया जा रहा है, 1 सितंबर 2007 से तत्काल (लाइव) आधार पर चलाने का प्रस्ताव किया है। सभी एससीबी/एआईएफआई/एनबीएफसी को ओटीसी मार्केट में कार्पोरेट बांड में किए गए द्वितीयक बाजार के कारोबार 1 सितंबर 2007 से फिम्डा के रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म में रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्टिंग सेशनों के अभ्यास में भाग लेने के लिए एनबीएफसी फिम्डा से सीधे संपर्क कर सकते हैं। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि चलनिधि समायोजन योजना (एलएएफ) के अतर्गत दैनिक रिवर्स रिपो की 3,000 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा 6 अगस्त 2007 से हटा दी गई है। 28 नवंबर 2005 से प्रारंभ की गई तथा दैनिक आधार पर अपराह्न 3 से 3.45 बजे तक चलाई जाने वाली दूसरी चलनिधि समायोजन सुविधा (एसएलएएफ) 6 अगस्त 2007 से समाप्त कर दी गई है। रिज़र्व बैंक पूर्वाह्न 9.30 बजे से 10.30 बजे तक एकल चलनिधि समायोजन सुविधा के रूप में एलएएफ का परिचालन जारी रखेगा। आगे अधिसूचित किए जाने तक ये नीलामियां पहले की तरह नियत दर आधार पर होंगी। रिज़र्व बैंक को, परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार रिपो/रिवर्स रिपो की निलामियां नियत दर अथवा परिवर्ती दरों पर कराने की छूट है। रिज़र्व बैंक के पास बाजार की स्थिति तथा अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए एलएएफ के अंतर्गत रात्रिपर्यंत (ओवरसाइट) अथवा लंबी अवधि की रिपो/रिवर्स रिपो परिचालित कराने का भी विकल्प है। रिज़र्व बैंक एलएएफ के अंतर्गत टेंडर(रों) को पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के अधिकार सहित, विकल्पों का लचीलेपन के साथ उपयोग करता रहेगा ताकि चलनिधि के दैनिक प्रबंधन के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा का प्रभावी उपयोग किया जा सके। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि 4 अगस्त 2007 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 50 आधार अंक बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया गया है।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
अगस्त	3	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि (i) उन मामलों में जहां साख पत्र (एलसी) के अंतर्गत बिल का पराक्रामण (नेगोशिएसन) एक ही बैंक तक सीमित हो तथा साख पत्र का हिताधिकारी बैंक का ग्राहक न हो तो संबंधित बैंक ऐसे साख पत्र का पराक्रामण कर सकता है बशर्ते संबंधित राशि हिताधिकारी के नियमित बैंकर को प्रेषित की जाए। तथापि, ग्राहकों को छोड़कर अन्यों के असीमित साख पत्रों के पराक्रामण पर स्थित रोक बरकरार रहेगी; तथा (ii) बैंक स्वविवेक पर तथा साख पत्र जारी करने वाले बैंक की ऋण पात्रता को ध्यान में रखते हुए ज्दायित्व सहितट अथवा ज्दायित्व रहितट आधार पर साख पत्र के अंतर्गत आहरित बिल का पराक्रामण कर सकता है। तथापि, अन्य बिलों (साख पत्र से भिन्न विलेखों के अंतर्गत आहरित बिल) की ज्दायित्व रहितट आधार पर खरीद/डिस्काउंट पर स्थित रोक बरकरार रहेगी।
	13	• सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने बोर्ड के अनुमोदन से आवास के क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक का प्रत्यक्ष वित्त, क्षेत्र से निरपक्ष, प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धिशील जमाराशि की पहले निर्धारित सीमा को भी हटा लिया गया है।
	22	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे प्रदत्त आवास वित्त का ब्योरा देते हुए आवास वित्त वितरण संबंधी विवरण तिमाही आधार पर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऋण की स्वीकृति /वितरण के समय सभी उधारकर्ताओं को ऋण करार की एक प्रति अवश्य उपलब्ध कराएं। • सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों के बारे में सूचित किया गया जिसमें माइक्रो, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार लघु तथा माइक्रो उद्यमों की संशोधित परिभाषा दी गई है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 1997 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त अग्रिम वाणिज्य बैंकों की तरह उनके बकाया अग्रिमों का 40 प्रतिशत होना चाहिए। 40 प्रतिशत के समग्र लक्ष्य के भीतर समाज के कमजोर वर्गों को प्रदत्त अग्रिम, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का 25 प्रतिशत (अर्थात् कुल बकाया अग्रिमों का 10 प्रतिशत) होना चाहिए।
	23	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि सीसीआईएल ने ओटीसी ब्याज दर डेरिवेटिव्स के लिए एक रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है जो ओटीसी ब्याज दर डेरिवेटिव्स (ब्याज दर स्वाप्स और फारवर्ड रेट एग्रीमेंट (आईआरएस/ एफआरए) पर किए गए लेनदेनों का हिसाब रखेगा। इस रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को 30 अगस्त 2007 से कार्यान्वित किया जाएगा। सभी बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों को सौदा हो जाने के 30 मिनट के अंदर अपने सभी आईआरएस/एफआरएस के व्यापारों की रिपोर्टिंग करनी होगी। ग्राहकों के व्यापारों की रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। बैंक तथा प्राथमिक व्यापारी यह भी सुनिश्चित करें कि सभी बकाया आईआरएस/एफआरए संविदा (ग्राहक के व्यापारों को छोड़कर) के ब्यौरे 15 सितंबर 2007 तक रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म में शामिल कर लिए जाते हैं। इस संबंध में परिचालन से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश सीसीआईएल द्वारा जारी किए जाएंगे।
सितंबर	3	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के संबंध में संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित विवरणियों के विद्यमान फार्मेट में संशोधन किया गया है। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे ग्राहकों की अधिक सहभागिता के साथ शाखा स्तरीय समितियों को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक उपाय करें। शाखा स्तरीय समितियों में अपने ग्राहकों को भी शामिल करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिक बैंक का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के नाते एक वरिष्ठ नागरिक को समिति में शामिल करने के लिए वरीयता दी जानी चाहिए।
	4	• सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को धार्मिक स्थलों तथा बाजारों में विस्तार काउंटर खोलने के लिए अनुमति दी गई है। ऐसे मामलों में मुख्य बैंकर की शर्त लागू नहीं होगी। तथापि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से आवश्यक लाइसेंस लेना होगा।
	5	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि : (क) बैंक, चलनिधि जोखिम की माप के लिए संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) चलनिधि विवरण में प्रथम काल खंड (टाइम बॅकिट) (वर्तमान में 1-14 दिन) को तीन काल खंडों अर्थात् अगले दिन, 2-7 दिन तथा 8-14 दिन में बांटकर अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपना सकते हैं । (ख) चलानिधि पर संचयी प्रभाव जानने के लिए अगले दिन, 2-7 दिन, 8-14 दिन तथा 15-28 दिन के काल खंड के दौरान का निवल संचयी ऋणात्मक असंतुलन, संबंधित कालखंड में संचयी नकदी बहिर्वाह के क्रमशः 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। संरचनात्मक चलनिधि विवरण के फार्मेट में समुचित रूप से संशोधन किया गया ।
	7	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि ठ दि सांगली बैंक लि.ड का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
सितंबर	10	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि भारत सरकार से परामर्श करके 5 और परिपत्रों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है, यथा - राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यख एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) /कार्यपालक निदेशक (ईडी) को अधिकारों का प्रत्यायोजन, आपसी निपटारा (कॉम्प्रॉमाइज)/ राइट ऑफ के लिए सीएमडी/ईडी को अधिकारों का प्रत्यायोजन, बैंकों में सतर्कता व्यवस्था, बैंक में लूट /डकैती/ चोरी के मामलों की रिपोर्टिंग तथा छलपूर्ण लिखतों के भुगतान के संबंध में ग्राहक सेवा समझौता प्रक्रिया पर स्थायी समिति की बैठक।
	13	• यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने अनुषंगी (सेटेलाइट) कार्यालयों को स्वयंपूर्ण शाखा के रूप में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाए। परंतु, ऐसा करने से पूर्व उन्हें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर अधिकार प्राप्त समिति की सहमति लेनी होगी। इस बात की सूचना सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दे दी गई है।
	17	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि आवास ऋण प्रदान करते समय उनकी सभी शाखाएं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का पूर्णतः पालन करती हैं।
	21	• सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के प्रतिबंधात्मक प्रावधान समाप्त किए जाने के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित पैराग्राफों में निम्नानुसार परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है : 3.1 *ग्रामीण केंद्रों में शाखाओं का स्थानांतरण* क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण केंद्रों में शाखाओं का स्थानांतरण भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना कर सकते हैं, बशर्ते विद्यमान तथा प्रस्तावित केंद्र एक ही ब्लॉक में हों तथा प्रस्तावित केंद्र की शाखा विद्यमान केंद्र की शाखा के अंतर्गत स्थित गांवों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हो। 3.2 *अर्ध-शहरी केंद्रों में शाखाओं का स्थनांतरण* क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्ध-शहरी केंद्रों में एक ही इलाके/म्यूनिसिपल वार्ड के अंदर शाखाओं का स्थानांतरण भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमोदन के बिना कर सकते हैं। परंतु, यह बात सुनिश्चित की जानी चाहिए कि शाखा के स्थानांतरण के कारण वह इलाका/म्यूनिसिपल वार्ड बैंक रहित नहीं होना चाहिए। 9. *हानि उठाने वाली शाखाओं का विलयन* जहां किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की हानि पर चल रही दो शाखाएं पास-पास (अर्थात् 5 कि.मी. के अंदर) हों वे ऐसी शाखाओं के विलयन पर विचार कर सकते हैं ताकि स्थान अंतर को युक्तिसंगत बनाने के साथ-साथ स्थापना/परिचालन संबंधी खर्चों को कम किया जा सके। 10. हटाया गया
अक्तूबर	23	• लॉर्ड श्री कृष्ण बैंक लि. का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूचि से हटा दिया गया
	24	• आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली संबंधी दिशानिर्देश में परिवर्तन किया गया और सभी वाणिज्य बैंकों को कहा गया कि (ए) चलनिधि जोखिम के आकलन में बैंक और बारीक एप्रोच अपनाएं एवं इसके लिए संरचनात्मक चलनिधि (स्ट्रक्चरल लिक्विडिटि) के विवरण में पहले काल खंड (वर्तमान में यह 1-14 दिनों का है) को तीन खंडों यथा, अगला दिन, 2-7 दिन, और 8-14 में बाँट दें। (बी) संरचनात्मक चलनिधि विवरण सर्वोत्तम उपलबध डेटा कवरेज पर तैयार किया जाए और इसमें पूर्णतः नेटवर्क्ड एनवायरनमेंट के उपलब्ध न होने का समुचित ध्यान रखा जाए। तथापि, बैंक इस बाबत हरसंभव प्रयास करें कि समय पर 100 प्रतिशत डेटा का कवरेज हो। (सी) अगले दिन, 2-7 दिन, 8-14 दिन और 15-28 दिन के कालखंड में कुल विशुद्ध निगेटिव मिसमैय सबंधित कालखंड में कुल कैश आउटफ्लो के 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ताकि चलनिधि पर कुल प्रभाव का पता चले। (डी) बैंक गतिशील चलनिधि प्रबंधन(डायनामिक लिक्विडिटि मैनेजमेंट) करें और स्ट्रक्चरल लिक्विडिटि का स्टेटमेंट दैनिक आधार पर तैयार करें। वैसे, रिज़र्व बैंक को संरचनात्मक चलनिधि (स्ट्रक्चरल लिक्विडिटि) का स्टेटमेंट महीने में एक ही बार प्रत्येक महीने के तीसरे बुधवार की स्थिति के अनुसार रिपोर्ट किया जाए।
	30	• यह निर्णय लिया गया कि 10 नवंबर 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सीआरआर 50 आधार अंक बढ़ाकर उनके डिमांड एंड टाइम लायबिलिटिज का 7.50 प्रतिशत कर दिया जाए। • भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में यूटीआइ बैंक लि. का नाम 30 जुलाई 2007 से बदलकर 'एक्सिस बैंक लि.' कर दिया गया है।
	31	• यह निर्णय लिया गया कि 10 नवंबर 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का सीआरआर 50 आधार अंक बढ़ाकर उनके मांग और मीयादी देयताओं (डिमांड एंड टाइम लायबिलिटिज) का 7.50 प्रतिशत कर दिया जाए।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
		(ख) सहकारी बैंक
2006		
अप्रैल	13	• राज्यों में पंजीकृत शहरी सहकारी बैंक, जिन्होंने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं और जो बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत है, अपनी यूनिटों के विपणन के लिए कतिपय शर्तों के अधीन म्युचुअल फंडों के साथ करार कर सकते हैं, साथ ही i) शहरी सहकारी बैंक ग्राहक के एजेंट के रूप में कार्य करेगा, ii) म्युचुअल फंड यूनिटों की खरीद पर जोखिम ग्राहक पर होगा और शहरी सहकारी बैंक उस पर किसी प्रतिलाभ का वादा नहीं करेगा, iii) शहरी सहकारी बैंक ऐसे यूनिटों को द्वितीयक बाजार से हासिल नहीं करेंगे, iv) शहरी सहकारी बैंक ग्राहकों से म्युच्युअल फंडों की युनिटों की पुनर्खरीद नहीं करेगा, और v) शहरी सहकारी बैंक वर्तमान केवाइसी/एएमएल दिशानिदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
	28	• बेहतर ग्राहक सेवा देने के लिए, शहरी सहकारी बैंकों को अपने विस्तार पटलों पर निम्नलिखित सीमित कार्य करने के लिए सूचित किया गया था : (i) जमा/निकासी लेनदेन, (ii) ड्राफ्ट और डाक अंतरणों को जारी करना तथा उनको भुनाना, (iii) यात्री चेकों को जारी करना तथा उनको भुनाना, (iv) बिलों की वसूली, (v) अपने ग्राहकों की मीयादी जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम देना (संबंधित विस्तार पटल के अधिकारी को दिए मंजूरी के अधिकारों के भीतर), (vi) प्रधान कार्यालय/मूल शाखा द्वारा (केवल व्यक्तियों को) 10 लाख रुपए तक की सीमा तक स्वीकृत अन्य ऋणों का संवितरण। • निम्नलिखित पात्रता मानदंडों के अनुसार ऑन साइट / ऑफ साइट एटीएम लगाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति दी गई थी। (i) न्यूनतम जमा 100 करोड़ रुपए, (ii) निर्धारित जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात का अनुपालन, (iii) 10 प्रतिशत से कम की निवल अनर्जक आस्तियां और (iv) आरक्षित नकदी निधि अनुपात / सांविधिक चल निधि अनुपात का अनुपालन और निरंतर लाभप्रदता का रिकार्ड।
मई	26	• अनसूचित शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी वेबसाइटों पर निर्धारित फार्मेट में विभिन्न सेवा प्रभारों की जानकारी दें। शहरी सहकारी बैंक अपने कार्यालयों/शाखाओं में निर्दिष्ट कतिपय सेवाओं से संबंधित प्रभारों को भी प्रदर्शित करें। इसे स्थानीय भाषा में भी प्रदर्शित किया जाए।
जून	1	• शहरी सहकारी बैंकों के वाणिज्यिक स्थावर संपदा के एक्सपोजर पर जोखिम भार 125 प्रतिशत से बढ़ाकर 150 प्रतिशत कर दिया गया है।
	6	• राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे राज्य सरकार द्वारा प्रायाजित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं /निकायों /एजेंसियों के नाम में बचत बैंक खाता खोल सकते हैं, जिसके लिए संबंधित सरकारी विभाग से बैंक को यह प्रमाणित करते हुए प्राधिकृत पत्र प्रस्तुत किया गया हो कि संबंधित सरकारी विभाग को अथवा निकाय को बचत बैंक खाता खोलने की अनुमति दी गई है।
	15	• विशिष्ट क्षेत्रों में मानक अग्रिमों अर्थात वैयक्तिक ऋण, पूंजी बाजार एक्सपोजर के रुपया ऋण और अग्रिम, 20 लाख रुपए से अधिक का रिहाइशी आवासीय ऋण और वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर प्रावधानीकरण वर्तमान के 0.40 प्रतिशत से बढ़कर 1.0 प्रतिशत कर दिया गया है। संशोधित मानदंड यूनिट बैंकों तथा वे बैंक जिनकी एक जिले में अनेक शाखाएं हैं और जिनकी जमाराशि 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक है तथा अन्य सभी शहरी सहकारी बैंक जो एक से अधिक जिलों में कार्य कर रहे हैं, पर संशोधित मानदंड लागू कर दिए गए हैं।
	19	• भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) ने भारत राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी) 2005 बनाई है, जिसमें पूरे देश में भवन निर्माण गतिविधियों के विनियमन हेतु दिशानिर्देश दिए गए हैं। इस संहिता में सुरक्षित एवं व्यवस्थित भवन विकास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलू जैसे प्रशासनिक विनियम, विकास नियंत्रण नियम तथा सामान्य निर्माण अपेक्षाएं, अग्नि सुरक्षा अपेक्षाएं, निर्माण सामग्री का निर्धारण, संरचनागत डिजाइन तथा निर्माण (सुरक्षा सहित), और भवन एवं नलसाज सेवाएं शामिल है। बैंक के निदेशक मंडल इन पहलुओं को अपनी ऋण नीतियों में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। इसी प्रकार के दिशानिदेश राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को 26 जून 2006 को जारी किए गए हैं।
जुलाई	11	• प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत बैंक के निवेशों को युक्तिसंगत बनाने और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारकर्ताओं को सीधे उधार देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शहरी सहकारी बैंकों को निदेश दिया गया कि एनएचबी/हुडको द्वारा जारी बांडों में 1 अप्रैल 2007 को या उसके बाद किया गया उनका निवेश प्राथमिकता क्षेत्र उधार के अंतर्गत वर्गीकृत करने हेतु पात्र नहीं है।
	21	• शहरी सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा घोषित ठमहाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के लिए राहत उपायड पैकेज की तर्ज पर अधिसूचित जिलों में किसानों के ऋण खातों जो 01 जुलाई, 2006 से अतिदेय हो गए हैं, उन्हें पुनः निर्धारित करें और उन पर ब्याज की रकम (01 जुलाई, 2006 को) को माफ कर दें। ऐसे किसानों को नया वित्त प्रदान किया जाए। ऐसे किसानों को नए वित्त उपलब्ध कराए जाएं।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
जुलाई	24	• अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक अपनी वेबसाइटों के होमपेज पर प्रमुख स्थान पर 'सेवा प्रभार और शुल्क' शीर्ष के अंतर्गत सेवा प्रभारों और शुल्क का उल्लेख करें ताकि उनकी जानकारी शहरी सहकारी बैंक के ग्राहकों को आसानी से प्राप्त हो सके। शिकायत निवारण हेतु नोडल अधिकारी के नाम के साथ शिकायत का फार्म भी होमपेज पर उपलब्ध करवाएं ताकि ग्राहक आसानी से शिकायत दर्ज कर सकें। शिकायत फार्म में यह उल्लेख हो कि शिकायत निवारण का पहला स्थान बैंक है तथा शिकायतकर्ता बैंक में एक महीने के भीतर शिकायत का निवारण न होने पर ही वे बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।
	26	• शहरी सहकारी बैंक स्वयं को इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक पर्स योजना से न जोड़े जो जमाराशि स्वीकार करती हो और जिसे मांग पर आहरित किया जा सकता हो। इसी प्रकार के दिशानिदेश राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी 07 अगस्त 2006 को जारी किए गए हैं।
अगस्त	11	• राज्य सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि 24 जून, 2006 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से सीआरआर के अंतर्गत निर्धारित राशि रखने में चूक करने वाले मामले में दंडात्मक ब्याज इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा : i) दैनिक आधार पर सीआरआर बनाए रखने की अपेक्षा में चूक, जो वर्तमान में कुल सीआरआर का 70 प्रतिशत है, पर ब्याज दर इस दिन के लिए निर्धारित न्यूनतम राशि और रखी गई राशि में कमी की राशि पर बैंक दर और उसके ऊपर तीन प्रतिशत दर पर लगायी जाएगी और यदि यह कमी अगले दिन/दिनों तक बनी रहती है तो दंडात्मक ब्याज दर, बैंक दर से 5 प्रतिशत अधिक दर पर लगाई जाएगी, ii) एक पखवाड़े के दौरान, सीआरआर बनाए रखने में हुई चूक के मामले में दंडात्मक ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा (3) में दिए अनुसार वसूला जाएगा। इसी प्रकार के दिशानिदेश अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को 16 अगस्त 2006 को जारी किए गए हैं।
	18	• केंद्रीय सरकार के ञ्चेन इश्यूडट लेनदेन हेतु लेखांकन और संबंधित पहलुओं से संबंधित जानकारी शहरी सहकारी बैंकों को जारी की गई है।
सितंबर	4	• प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय उपलब्ध करवाने के बारे में शहरी सहकारी बैंकों को दिशानिदेश जारी किए गए है।
	22	• राज्य सहकारी बैंकों/जिला केंद्रीय मध्यवर्ती बैंकों को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया है कि शाखाओं में ग्राहकों को जारी पासबुक/खाता विवरण में शाखा का पूरा पता/दूरभाष संख्या अनिवार्य रूप से दी जाए।
	26	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि धोखाधड़ी, चोरी आदि से संबंधित आंकड़े फार्मेट एमएमआर-2,3 और 4 में रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को उस तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करें जिस तिमाही से आंकड़े संबंधित हैं।
अक्तूबर	6	• शहरी सहकारी बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया था कि खाता धारकों को जारी किए गए पासबुकों खातों के विवरणों में अनिवार्य रूप से शाखा का पूरा पता /टेलीफोन नं. लिखा जाए।
	11	• राज्य सहकारी बैंकों /जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे सभी खाता धारकों (व्यक्तियों) को अनिवार्य रूप से पासबुकों की सुविधा उपलब्ध करवाएं ऐसे ही दिशानिदेश शहरी सहकारी बैंकों को 16 अक्तूबर 2006 को जारी किए गए।
	17	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के समग्र लक्ष्य के भीतर और कमजोर तबके के लिए 25 प्रतिशत के उप लक्ष्यों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाए कि अल्प समुदाय के लोग ऋण का समान वांछित हिस्सा प्राप्त करें। • शहरी सहकारी बैंकों को पारिवारिक इकाई के हिताधिकारी को 25 लाख रुपए तक का आवास ऋण देने की अनुमति दी गई थी। परंतु 15 लाख रुपए से ऊपर के आवास ऋण को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण नहीं माना जाएगा। इस शर्त को कि किस्त और ब्याज की रकम के लिए निर्धारित की गई वर्तमान सीमा उधारकर्ता की आय के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, समाप्त कर दिया गया है।
नवंबर	13	• श्रेणी III और IV को छोड़कर, राज्यों में पंजीकृत शहरी सहकारी बैंक जिन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत हैं, को विस्तार काउंटरों को तीन वर्ष तक कार्य करने के बाद उन्हें पूर्ण रूप से शाखाओं में परिवर्तित करने की पात्रता होगी। यदि बैंक इन शाखाओं को दूसरे स्थान पर स्नानांतरित करना/

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2006		
		स्थापित करना आवश्यक समझता है तो इसकी अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर दी जाएगी : (i) परिवर्तित शाखा की शिफ्टिंग/अन्य स्थान पर स्थापना उसी शहर/कस्बे की सीमा के भीतर हो, (ii) यह सुनिश्चित किया जाए कि विस्तार काउंटर के वर्तमान ग्राहकों तथा संस्थागत ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं मिलती रहेंगी; (iii) जिस संस्था में विस्तार काउंटर वर्तमान में कार्य कर रहा है उसमें नए विस्तार काउंटर की अनुमति नहीं दी जाएगी।
नवंबर	22	• शहरी बैंक, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा जारी निदेशों का कड़ाई से पालन करें। ये निदेश निम्नलिखित प्रयोजन हेतु आवास ऋण के संबंध में हैं : (क) भवन निर्माण, (ख) निर्मित/बनी हुई संपत्ति की खरीद, (ग) अनधिकृत श्रेणी की कालोनियों की संपत्ति तथा (घ) संपत्ति जो आवासीय प्रयोजन के लिए है किंतु आवेदक उसे वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है।
	27	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे प्राधिकृत व्यापारी लाइसेंस के लिए पात्र होंगे, बशर्ते वे रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करें। यह निर्णय लिया गया कि शहरी सहकारी बैंकों को एफएमसीसी के रूप में कार्य करने के लिए कोई नया प्राधिकरण न दिया जाए।
दिसंबर	11	• रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि राज्य सहकारी बैंकों तथा अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकिंग प्रणाली के प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को उनके निवल मांग एवं मीयादी देयताओं के एक प्रतिशतता बिंदु के आधे तक दो चरणों में बढ़ाया जाए, जो निम्नलिखित पखवाड़ों से प्रभावी होगा : प्रभावी तारीख (अर्थात् जिस तारीख से पखवाड़ा शुरू होता है) : निवल मांग और मीयादी देयताओं पर सीआरआर; 23 दिसंबर 2006 - 5.25; 6 जनवरी 2007- 5.50
	13	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि डुप्लीकेट मांग ड्राफ्ट जारी करने में होने वाले विलंब के लिए ब्याज के भुगतान से संबंधित पूर्व अनुदेश केवल उन्हीं मामलों में लागू होंगे जहां डुप्लीकेट मांग ड्राफ्ट बनाने का अनुरोध क्रेता द्वारा अथवा लाभार्थी द्वारा किया गया हो, और यह तीसरी पार्टी को परांकन के मामले में लागू नहीं होगा।
	18	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे ग्राहकों को चेक ड्राप बाक्स में डालने के लिए मजबूर न करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे चेक ड्राप बॉक्स पर यह प्रदर्शित करें कि 'ग्राहक अपने चेक काउंटर पर भी दे सकते हैं और जमापर्ची पावती प्राप्त कर सकते हैं।' यदि ग्राहक चेक काउंटर पर जमा करता है तो कोई भी शाखा रसीद देने से मना नहीं कर सकती। इसी प्रकार की सूचना 26 दिसंबर 2006 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों एवं जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को और 28 दिसंबर 2006 को शहरी सहकारी बैंकों को जारी की गईं।
	26	• आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के ऋणग्रस्त जिलों के किसानों की ऋणग्रस्तता दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक पैकेज का अनुमोदन किया है, जिसमें अन्य मदों के अलावा, कृषि ऋण से संबंधित मद है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) प्रभावित जिलों में 1 जुलाई 2006 को बकाया ऋणों के समस्त ब्याज माफ कर दिए जाएंगे और किसानों पर उस तारीख को पिछले किसी ब्याज का बोझ नहीं होगा, ताकि वे बैंकिंग प्रणाली से नया ऋण लेने के लिए तुरंत पात्र हो सकें, (ii) 1 जुलाई 2006 को किसानों के अतिदेय ऋणों को 3-5 वर्षों तक की अवधि में पुनर्निर्धारण किया जाएगा और एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि भी होगी तथा, (iii) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल के उपर्युक्त ऋणग्रस्त जिलों में वर्ष 2006-07 में क्रमशः 13,817.78 करोड़ रुपए, 3,076.20 करोड़ रुपए और 1,945.07 करोड़ रुपए के ऋण दिए जाएंगे। अतिदेय ब्याज को माफ करने का बोझ राज्य एवं केंद्र सरकारें बराबर मात्रा में उठाएंगी। उपर्युक्त अतिदेय ब्याज का विभाजन करते समय, राज्य सरकार द्वारा पहले ही किए गए किसी निर्गम को समायोजित करने का विशेष ध्यान रखा जाए।
	28	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने ग्राहकों को ड्राप बाक्सों में चेक डालने के लिए मजबूर न करें। जहां ग्राहकों को चेक ड्राप बाक्स सुविध मुहैया कराई जाए, वहीं नियमित वसूली काउंटरों पर चेकों की रसीद देने से मना न किया जाए। कोई भी शाखा उनके काउंटरों पर दिए जाने वाले चेकों के लिए ग्राहकों को पावती देने से मना नहीं करेगी।
2007		
जनवरी	22	• अग्रिमों के प्रबंधन से संबंधित सभी अनुदेशों /दिशानिर्देशों को समेकित एवं अद्यतन करते हुए सभी शहरी सहकारी बैंकों को मास्टर परिपत्र जारी किया गया।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

<table>
<tr><th colspan="2">घोषणा की तारीख</th><th>उपाय</th></tr>
<tr><td colspan="3">2007</td></tr>
<tr><td rowspan="2">फरवरी</td><td>5</td><td>• रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के बावजूद, यह पाया गया है कि बैंक अभी भी नोट के पैकेटों को स्टेपल करने की प्रथा जारी रखे हुए हैं। इस परंपरा से, नोट को नुकसान तो पहुंचता ही है, नोटों का जीवन कम हो जाता है और इससे ग्राहकों को नोटों के पैकेट आसानी से खोलने में कठिनाई होती है। सभी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे तुरंत प्रभाव से : (i) किसी भी नोट पैकेट को स्टेपल न करें बल्कि कागज की पट्टी से बांधकर सुरक्षित करें; (ii) नोटों को पुनः जारी करनेयोग्य और जारी न करने योग्य नोटों में छांटें तथा जनता को केवल साफ-सुथरे नोट जारी करें। गंदे नोट स्टेपल न की गई हालत में करेंसी चेस्टों के माध्यम से आवक रेमिटेंस में रिज़र्व बैंक को भेज दिए जाएं; तथा (iii) इसके बाद बैंक नोटों के वाटरमार्क विंडो पर किसी भी प्रकार से लिखना बंद करें ।</td></tr>
<tr><td>19</td><td>• यह निर्णय लिया गया कि यूनिट बैंक तथा 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक जमाराशि वाले वो बैंक जिनके एक ही जिले में एकाधिक शाखाएं हैं और एकाधिक जिलो में परिचालन करने वाले सभी शहरी सहकारी बैंकों के लिए ऋण तथा अग्रिमों के निम्नलिखित श्रेणियों के मानक आस्तियों के संबंध में प्रावधान की आवश्यकता को तत्काल प्रभाव से एक प्रतिशत बढ़ाकर दो प्रतिशत कर दिया जाए : (क) वैयक्तिक ऋण, (ख) पूंजी बाजार एक्सपोजर के रूप में माने जाने वाले ऋण तथा अग्रिम, तथा (ग) स्थावर संपदा ऋण (रिहायशी आवास ऋण को छोड़कर)

सभी अन्य ऋणों एवं अग्रिमों, जो मानक आस्तियां हैं, जिनमें वे भी शामिल हैं जो कृषि लघु एवं मझोले उद्यमों तथा सामान्य उद्योगों को दिए गए हैं, पर प्रावधान की अपेक्षाएं अपरिवर्तित रहेंगी। ऊपर उल्लिखित बैंकों की श्रेणियों के लिए मानक आस्ति प्रावधान अपेक्षाएं, उपर्युक्त संशोधनों के बाद, संक्षिप्त रूप में नीचे प्रस्तुत हैं। ये प्रावधान अनुमत सीमा तक पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन हेतु टियर II पूंजी में शामिल किए जाने हेतु पात्र होंगे।
<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>मानक आस्ति की श्रेणी</th><th>प्रावधान की दर</th></tr>
<tr><td>(क)</td><td>कृषि और एसएमई क्षेत्र को प्रत्यक्ष अग्रिम</td><td>0.25 %</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>वैयक्तिक ऋण, पूंजी बाजार एक्सपोज़र के रूप में ऋण एवं अग्रिम, कमर्शियल स्थावर संपदा ऋण तथा व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी - एनडी को ऋण एवं अग्रिम</td><td>2.00 %</td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>अन्य सभी प्रकार के ऋण एवं अग्रिम जिन्हें उक्त (क) तथा (ख) में शामिल नहीं किया गया है</td><td>0.40%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>मार्च</td><td>1</td><td>• सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि उन्हें निम्नलिखित देयताओं पर 22 जून 2006 से औसत सीआरआर रखने से छूट दी जाती रहेगी, बशर्ते वे अपनी कुल मांग और मीयादी देयताओं पर न्यूनतम 3 प्रतिात का सांविधिक सीआरआर बनाए रखें : (i) भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं जिसकी गणना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के अंतर्गत की गई हो, और (ii) भारतीय समाशोधन निगम के साथ संपार्श्विकीकृत उधार एवं ऋण दायित्व संबंधी लेनदेन।

• सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि भारत सरकार ने 9 जनवरी 2007 को उस दिन के रूप में अधिसूचित किया है जिस दिन भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम 2006 की धारा 3 को छोड़कर सभी प्रावधान लागू होंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 में निम्नलिखित को हटाने का प्रावधान किया गया है: (i) देश में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा सीआरआर की उच्चतम एवं न्यूनतम दर का निर्धारण करना, तथा (ii) पात्र सीआरआर राशियों पर ब्याज भुगतान का प्रावधान (अर्थात् सांविधिक न्यूनतम सीआरआर तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीआरआर के बीच के अंतर की प्रारक्षित निधि की राशि)।

1. शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कुल मांग और मीयादी देयताओं पर रखी जानेवाली प्रभावी सीआरआर की राशि 3 प्रतिशत से कम नहीं होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप धारा (1) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी शहरी सहकारी बैंक अपनी कुल मांग और मीयादी देयताओं का 17 फरवरी, 2007 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से 5.75 प्रतिशत और 3 मार्च, 2007 से शुरू होने वाले पखवाड़े से 6.00 प्रतिशत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखेंगे।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की उप धारा 42(5) (ग) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, यह निर्णय लिया गया कि मांग और मीयादी देयताओं की गणना में मान्य सीआरआर छूटों के चलते जो बैंक 22 जून 2006 से 2 मार्च 2007 तक 3 प्रतिशत का न्यूनतम सांविधिक सीआरआर का स्तर नहीं रख पाए ऐसे बैंकों को दंड के रूप में लगने वाले ब्याज से छूट दी जाए।</td></tr>
</table>

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
		3. रिज़र्व बैंक सभी शहरी सहकारी बैंकों को पात्र सीआरआर राशियों पर इन दरों से ब्याज देगा : (क) सीआरआर अपेक्षा के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पास 24 जून 2006 से शुरू होने वाले पखवाड़े से 8 दिसंबर 2006 तक रखी गई पात्र नकद राशियों पर 3.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, (ख) सीआरआर अपेक्षा के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पास 9 दिसंबर 2006 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से 16 फरवरी 2007 तक रखी गई पात्र नकद राशियों पर 2.0 प्रतिशत, (ग) सीआरआर अपेक्षा के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पास 17 फरवरी 2007 से शुरू होने वाले पखवाड़े से रखी गई पात्र नकद राशियों पर 1.0 प्रतिशत।
मार्च	16	• शहरी सहकारी बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि किसान विकास पत्र सहित लघु बचत लिखत प्राप्त करने/में निवेश करने के लिए कोई भी ऋण स्वीकृत न किया जाए।
	23	• राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि किसान विकास पत्र सहित लघु बचत लिखत प्राप्त करने/में निवेश करने के लिए कोई भी ऋण स्वीकृत न किया जाए।
अप्रैल	4	• राज्य सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि यह निर्णय लिया गया है कि प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के एक प्रतिशतता बिंदु के आधे तक निम्नलिखित पखवाड़े से लागू करते हुए दो चरणों में बढ़ाया जाए:
		लागू तारीख (अर्थात् पखवाड़ा शुरू होने की तारीख) / निवल मांग और मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत) 14 अप्रैल 2007 / 6.25 28 अप्रैल 2007 / 6.50
		तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत किए गए निर्धारण के अनुसार राज्य सहकारी बैंकों द्वारा कुल मांग और मीयादी देयताओं पर रखी जाने वाली प्रभावी सीआरआर दर 3.00 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
		• 14 अप्रैल, 2007 से शुरू होने वाले पखवाड़े से राज्य सहकारी बैंकों को वर्तमान सीआरआर अपेक्षा के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पास रखी गई पात्र नकद राशियों पर 0.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा।
	5	• शहरी सहकारी बैंकों को यह सूचित किया गया कि यह निर्णय लिया गया है कि प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के एक प्रतिशतता बिंदु के आधे तक, निम्नलिखित पखवाड़े से लागू करते हुए दो चरणों में बढ़ाया जाए :
		लागू तारीख (अर्थात् पखवाड़ा शुरू होने की तारीख) / निवल मांग और मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत) 14 अप्रैल 2007 / 6.25 28 अप्रैल 2007 / 6.50
		तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत किए गए निर्धारण के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कुल मांग और मीयादी देयताओं पर रखी जानेवाली प्रभावी सीआरआर दर 3.00 प्रतिशत से कम नहीं होगी। 14 अप्रैल, 2007 से शुरू होने वाले पखवाड़े से शहरी सहकारी बैंकों को वर्तमान सीआरआर अपेक्षा के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पास रखी गई पात्र नकदी राशियों पर 0.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा।
	9	• राज्य सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि ग्राहकों द्वारा जारी चेकों/ड्राफ्टों को जिनमें राशि फुटकर रुपए में लिखी गई हो, निरस्त अथवा अस्वीकार न करें।
	12	• राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे आम तौर पर जमा खाता खोलने वाले व्यक्तियों से नामांकन देने का आग्रह करें। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति नामांकन भरने से मना करता है, तो उसे नामांकन सुविधा के फायदे बताएं जाएं। यदि इस पर भी खाता खोलने वाला व्यक्ति नामांकन नहीं देना चाहता है, तो बैंक उससे इस आशय का विशेष पत्र देने के लिए कहे जिसमें यह लिखा हो कि वह नामांकन नहीं करना चाहता है। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति ऐसा पत्र देने से मना करता है तो बैंक खाता खोलने वाले फार्म पर यह तथ्य दर्ज करे और अन्यथा पात्र पाए जाने पर खाता खोलने की कार्रवाई करे। बैंक किसी भी परिस्थिति में केवल इस कारण से खाता खोलने के लिए मना न करे कि खाता खोलने वाले व्यक्ति ने नामांकन देने से मना कर दिया है।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
अप्रैल	17	• शहरी सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि ग्राहकों द्वारा जारी चेकों/ ड्राफ्टों को जिनमें राशि फुटकर रुपए में लिखी गई हो, निरस्त अथवा अस्वीकार न करें।
	18	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि भारत सरकार ने 16 जून, 2006 को माइक्रो, लघु एवं मझोले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 पारित किया है, जिसे 2 अक्तूबर, 2006 को अधिसूचित किया गया। विनिर्माण कार्य अथवा उत्पादन कार्य और सेवाएं प्रदान करने, देने का कार्य कर रहे अति लघु (माइक्रो), लघु और मझोले उद्यम की परिभाषा संशोधित की गई है जिसे बैंकों द्वारा अन्य नीतिगत उपायों के साथ-साथ तुरंत लागू किया जाना है। मझोले उद्यमों को बैंक द्वारा दिए गए उधार को, जिसमें उपकरण में निवेश की राशि 2 करोड़ रुपए से अधिक किंतु 5 करोड़ रुपए से अनधिक हो, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत गणना हेतु शामिल नहीं किया जाएगा।
	19	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे जमा खाता खोलने वाले व्यक्ति से सामान्यतया नामांकन भरने का आग्रह करें। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति नामांकन भरने से मना कर देता है, तो बैंक उसे नामांकन सुविधा के फायदे बताए। यदि इस पर भी खाता खोलने वाला व्यक्ति नामांकन नहीं भरना चाहता, तो बैंक उससे इस आशय का विशेष पत्र देने के लिए कहे जिसमें यह लिखा हो कि वह नामांकन नहीं करना चाहता। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति ऐसा पत्र देने से मना करता है, तो बैंक यह तथ्य उसके खाता खोलने वाले फार्म पर लिख दे और अन्यथा पात्र पाए जाने पर खाता खोलने की कार्रवाई करे। किसी भी परिस्थिति में बैंक, खाता खोलने से केवल इस आधार पर मना नहीं करेगा कि खाता खोलने वाले व्यक्ति ने नामांकन भरने से मना कर दिया।
	24	• राज्य सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि उन्हें 01 अप्रैल 2007 से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अंतर्गत गणना की गई निम्नलिखित देयताओं पर औसत सीआरआर रखने से छूट होगी : (i) भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं जिनकी गणना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के स्पष्टीकरण के खंड (ङ) के अंतर्गत की गई है, (ii) भारतीय समाशोधन निगम (सीसीआइएल) के साथ संपार्श्विकृत उधार एवं ऋण दायित्व (सीबीएलओ) के लेनदेन। • भारत सरकार ने 9 मार्च 2007 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं.एसओ 337 (ङ) में 01 अप्रैल, 2007 को भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम 2006 की धारा 3 के प्रावधान लागू होने की तारीख अधिसूचित की है। भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 के प्रावधान लागू किए जाने के फलस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप धारा (1) में किया गया संशोधन 01 अप्रैल, 2007 से लागू किया गया। तदनुसार, कुल मांग और मीयादी देयताओं के 3 प्रतिशत की सांविधिक न्यूनतम सीआरआर की अपेक्षा उक्त अधिसूचित तारीख से समाप्त होती है। रिज़र्व बैंक देश में मौद्रिक स्थिरता कायम रखने की आवश्यकता के मद्देनजर समय-समय पर शहरी सहकारी बैंकों के लिए किसी भी न्यूनतम एवं उच्चतम सीमा के बिना सीआरआर निर्धारित कर सकता है। (2) रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय किया गया कि शहरी सहकारी बैंकों द्वारा रखी जाने वाली सीआरआर दर के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए तथा वर्तमान छूट जो अगले परिवर्तन तक जारी रहेगी, को अधिसूचित किया गया। तदनुसार, शहरी सहकारी बैंक अपनी कुल मांग और मीयादी देयताओं पर सीआरआर रखना जारी रखेंगे। लागू होने की तारीख (अर्थात् पखवाड़ा शुरू होने की तारीख) — निवल मांग और मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत) 14 अप्रैल 2007 — 6.25 28 अप्रैल 2007 — 6.50 (3) भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 लागू होने से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप धारा (1ख) 01 अप्रैल 2007 से हट जाएगी। इस संशोधन के अनुरूप यह निर्णय किया गया कि 31 मार्च 2007 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से रिज़र्व बैंक, शहरी सहकारी बैंकों द्वारा रखी गई सीआरआर राशि पर कोई ब्याज अदा नहीं करेगा।
	30	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि सोने और चांदी की जमानत पर दिए गए 1 लाख रुपए तक के ऋण पर मौजूदा 125 प्रतिशत के जोखिम भार को तुरंत प्रभाव से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। • शहरी सहकारी बैंकों के लिए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से संबंधित रियायती विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों को एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है।
मई	4	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा 'चूककर्ता कंपनी' के रूप में घोषित कंपनी/कंपनियों के धन संबंधी लेनदेन की अनुमति बैंक में न दी जाए। तदनुसार, इस संबंध में सभी शाखाओं को तुरंत सूचित किया जाए और आदेश के अनुपालन की सूचना दी जाए।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
मई	4	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि व्यक्तियों के लिए आवासीय ऋण पर जोखिम भार 75 प्रतिशत से कम करके 50 प्रतिशत कर दिया गया है, और यह अस्थायी उपाय है जो 20 लाख रुपए तक के ऋण के लिए लागू होगा तथा इस संबंध में चूक एवं अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए एक वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।
	16	• राज्य सहकारी बैंकों /जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे आंतरिक रूप से उपयुक्त सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करें ताकि प्रोसेसिंग एवं अन्य प्रभारों को मिलाकर ऋणों एवं अग्रिमों पर अत्यधिक ब्याज न लगाना पड़े।
	18	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे आंतरिक रूप से उपयुक्त सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करें ताकि प्रोसेसिंग एवं अन्य प्रभारों को मिलाकर ऋणों एवं अग्रिमों पर अत्यधिक ब्याज न लगाना पड़े। • राज्य सहकारी बैंकों /जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों से आग्रह किया गया कि वे उपयुक्त प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए अपने वित्तीय समावेशन के प्रयास को व्यापक बनाएं। यह सावधानी बरती जाए कि विकसित समाधान अत्यधिक सुरक्षित, लेखा-परीक्षा करने योग्य हो, तथा व्यापक रूप से स्वीकार्य प्रचलित मानक अपनाए गए हों जिसमें विभिन्न बैंकों द्वारा अपनाई गई विभिन्न प्रणालियों में परस्पर परिचालित करने की सुविधा हो। • राज्य सहकारी बैंकों /जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा प्रदान करने तथा सुरक्षित जमा लॉकर की सुविधा/ बैंकों द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा की वस्तुओं को लौटाने जैसे मुद्दों के बारे में नए दिशानिर्देश जारी किए गए।
	24	• रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को निर्देश दिए कि वे संशोधित बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 का पालन करें।
जून	21	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि सुरक्षित जमा लॉकर/वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा सुविधा प्रदान करने तथा सुरक्षित जमा लॉकर की सुविधा / बैंकों द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा की वस्तुओं को लौटाने के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
जुलाई	13	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि (i) वे शेयर दलालों को निधि आधारित अथवा गैर-निधि आधारित ऋण सुविधा नहीं दे सकते चाहे वह जमानती हो या गैर-जमानती। यह निषेध शेयरों और डिबेंचरों के अलावा अन्य प्रतिभूतियों जैसे मीयादी जमा रसीदें, जीवन बीमा निगम पालिसियों आदि की जमानत पर ऋण और अग्रिम पर भी लागू है, (ii) शहरी सहकारी बैंकों को पण्य-दलालों को कोई सुविधा देने की अनुमति नहीं है। इसमें उनकी ओर से गारंटियां जारी करना भी शामिल है। (iii) केवल व्यक्तियों को म्युचुअल फंड की यूनिटों की जमानत पर अग्रिम उसी प्रकार दिया जा सकता है जिस प्रकार से शेयरों, डिबेंचरों तथा बांडों की जमानत पर दिया जाता है। कोई भी ऋण सुविधा जो इस समय दी जा रही है, किंतु उक्त अनुदेशों के अनुरूप नहीं है, प्रचलन में हो तो उसे बिना किसी विलंब के हटा लिया/ बंद कर दिया जाए। इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत की जाए। • शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि विलय मामले में सुनाम (गुडविल) के परिशोधन की समीक्षा की गई है और उन्हें इस प्रकार सूचित किया गया (i) यदि अभिग्रहण/समामेलन के लिए अदा की गई राशि प्राप्त की गई निवल आस्तियों के बही मूल्य से अधिक हो जाती है तो उस अधिक राशि को सुनाम (गुडविल)के रूप में माना जाएगा और उसे अगले पांच वर्षों में समान किस्तों में परिशोधित किया जाएगा, तथा (ii) जहां प्रतिदान (कंसिडरेशन) राशि की अदायगी नहीं होती है किंतु ग्रहीत आस्तियों का बही मूल्य देयताओं के बही-मूल्य से कम होता है, तो ग्रहीत आस्तियों के बही मूल्य की तुलना में देयताओं का बही मूल्य जितना अधिक होता है, उसे सुनाम के रूप में माना जाएगा और उसे अगले पांच वर्षों में समान किस्तों में परिशोधित किया जाएगा; तथा (iii) जहां प्रतिदान राशि की अदायगी नहीं होती है, किंतु ग्रहीत आस्तियों का बही मूल्य ग्रहीत देयताओं के बही मूल्य से अधिक है, तो देयताओं के बही मूल्य की तुलना में आस्तियों का बही मूल्य जितना अधिक होता है, उसे आरक्षित पूंजी माना जाएगा। • शहरी सहकारी बैंकों को एटीएम-सह-डेबिट कार्ड जारी करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए। बैंक जो आनसाइट/ आफसाइट एटीएम लगाने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं, अपने बोर्ड के अनुमोदन से एटीएम-सह-डेबिट कार्ड शुरू कर सकते हैं। तथापि, ऑफ लाइन डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति नहीं है। रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रारंभ किए गए एटीएम-सह-डेबिट कार्ड के ब्यौरे तथा अपने बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कार्य सूची नोट एवं उस संबंध में पारित संकल्प की प्रतियां प्रेषित की जाएं। शहरी सहकारी बैंक अन्य गैर-बैंक संस्थाओं के साथ मिलकर एटीएम-सह-डेबिट कार्ड जारी नहीं करेंगे। शहरी सहकारी बैंक इन कार्डों के परिचालन की समीक्षा करें तथा अपने बोर्ड को प्रति वर्ष मार्च और सितंबर को समाप्त छमाही के आधार पर समीक्षा नोट प्रस्तुत करें। बैंकों द्वारा जारी इन कार्डों के परिचालन से संबंधित रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष मार्च और सितंबर के अंत में छमाही आधार पर रिज़र्व बैंक को प्रेषित की जाए।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
जुलाई	17	• शहरी सहकारी बैंक जिनके पास प्राधिकृत व्यापारी I अथवा II का लाइसेंस है, वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन मुद्रा अंतरण सेवा योजनाओं के अंतर्गत एजेंट / उप एजेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं और जो विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हो, : (i) बैंक की एएमएल/केवाइसी मानकों के अनुपालन की स्थिति संतोषजनक हो; (ii) मूल (मुख्य) बैंक, निर्दिष्ट बैंक के पास एजेंट के पक्ष में विदेशी मुद्रा जमाराशि (अमरीकी डालर) रखेगा, जो इस समय तीन दिन में किए गए औसत भुगतान के बराबर की राशि अथवा 50,000 अमरीकी डालर में से जो भी अधिक हो, (iii) जहां शहरी सहकारी बैंक उप एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो, वहां एजेंट भी निर्दिष्ट बैंक के पास संबंधित शहरी सहकारी बैंक (उप एजेंट) के पक्ष में तीन दिन के औसत भुगतान के बराबर की राशि अथवा 20 लाख रुपए, जो भी अधिक हो, जमानत राशि के तौर पर रखेगा। (iv) शहरी सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि किए जाने वाले भुगतान जिनकी प्रतिपूर्ति नहीं की गई है, किसी भी समय, विदेशी मुख्य एजेंट द्वारा रखी गई जमानती राशि से अधिक न हो, जैसा भी मामला हो; (v) कोई भी शहरी सहकारी बैंक किसी अन्य शहरी सहकारी बैंक/संस्था को अपने उप एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं कर सकता है।
अगस्त	14	• सभी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को उपभोक्ता कार्य मंत्रालय, खाद्य एवं लोक वितरण द्वारा बफर स्टाक के सृजन के संबंध में जारी अधिसूचना के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया। भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 01 मई 2007 से एक वर्ष की अवधि तक 20 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाया जाए। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार, चीनी विकास निधि से 378 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी करेगी और चीनी के मौजूदा स्टॉक से बफर स्टाक बनाए जाने के फलस्वरूप बैंकों को मार्जिन देने हेतु 420 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण राशि मंजूर करनी होगी। इस योजना के परिचालन के लिए, चीनी मिलों के लिए यह जरूरी होगा कि वे उनके पास पहले से रखी चीनी के स्टॉक से बफर स्टॉक के लिए रखी जानेवाली चीनी का स्टॉक अलग करके रखें। बैंक नियमित ऋण सीमा में से अलग से उप-ऋण सीमा का आबंटन करें जो चीनी मिलों द्वारा रखे गए बफर स्टॉक के 100 प्रतिशत मूल्य को प्रदर्शित करेगा। बफर स्टॉक के लिए 100 प्रतिशत आहरण प्रदान करने हेतु जारी रकम, अर्थात् मार्जिन राशि के रूप में जारी राशि को एक विशेष खाता में जमा किया जाए। बैंकों के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इस खाते में रखी गई राशि का इस्तेमाल गन्ने के भुगतान के लिए किया जाए।
	28	• सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि बैंक ने उसी राज्य के भीतर उनके परिचालन क्षेत्र में उनकी शाखाओं को एक शहर से दूसरे शहर में ले जाने के अनुरोध पर निम्नलिखित शर्तों पर विचार किया है : (i) नए केंद्र का जनसंख्या समूह मौजूदा केंद्र के जनसंख्या समूह के समान अथवा कम हो, अर्थात ज्डीट केंद्र पर स्थित शाखा को अन्यत्र ज्डीट केंद्र पर ही स्थानांतरित किया जा सकता है; (ii) कम बैंक वाले जिले में स्थित शाखा को अन्य कम बैंक वाले जिले के केंद्र पर ही स्थानांतरित किया जा सकता है तथा (iii) इस स्थानांतरण से बैंक को लागत और कारोबार के हिसाब से फायदा होना चाहिए।
	30	• सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने नियंत्रक कार्यालयों, शाखा कार्यालयों को यह सूचित करते हुए आवश्यक अनुदेश जारी करें कि वे निर्दिष्ट 121 अल्पसंख्यक वाले जिलों में अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले ऋण पर विशेष रूप से निगरानी रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अल्पसंख्यक समुदाय को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के समग्र लक्ष्य के भीतर समान अंश में ऋण प्राप्त हो। उपर्युक्त अपेक्षा का ध्यान ज्अल्पसंख्यक कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रमट के अंतर्गत लक्ष्यों एवं विकास परियोजनाओं के स्थान के निर्धारण के प्रयोजन से रखा जाए। • सभी शहरी सहकारी बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश सूचित किए गए, जिसमें माइक्रो, लघु और मझोले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार लघु एवं माइक्रो उद्यमों की संशोधित परिभाषा को शामिल किया गया है।
सितंबर	13	• सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि जिस प्रयोजन के लिए ऋण सुविधाएं दी गईं है, उधारकर्ता उनका इस्तेमाल उसी प्रयोजन के लिए कर रहे हैं। अतः बैंकों में निधियों के प्रयोजन परक इस्तेमाल पर उचित निगरानी रखने के लिए तंत्र होना चाहिए। जहां कहीं यह पाया जाए कि निधियों का इस्तेमाल अन्यत्र किया जा रहा है, तो वे संबंधित ग्राहकों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें और बैंक के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएं। बैंक, खास तौर से उन खातों के बारे में और सख्त सुरक्षा उपाय लागू करें जिनमें एनपीए के संकेत मिल रहे हों। इन मामलों में बैंक ग्राहकों के गोदामों का जल्दी-जल्दी निरीक्षण करते हुए अपनी निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ बनाएं, और यह सुनिश्चित करें कि बिक्री से प्राप्त राशि को बैंक में उधारकर्ता के खाते में जमा किया जाता है तथा स्टॉक को दृष्टिबंधक रखने के बजाय गिरवी रखने का आग्रह करें। ऐसे मामलों में जहां नकद ऋण और अन्य ऋण खातों के लिए दृष्टिबंधक रखे गए स्टॉक के बारे में यह पाया जाता है कि उसे बेच दिया गया है किंतु उससे मिलने वाली रकम ऋण खाते में जमा नहीं की गई है, तो इसे आम तौर पर धोखाधड़ी माना जाए। ऐसे मामलों में, बैंक शेष स्टॉक को सुरक्षित रखने हेतु तुरंत कदम उठाए ताकि उपलब्ध जमानत के मूल्य में और अधिक क्षय को रोका जा सके, इसके अलावा, बैंक अन्य आवश्यक कार्रवाई भी करे।
	18	• समस्त वेतन अर्जक प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे वेतन अर्जक बैंकों के बोर्ड में दो पेशेवर निदेशक रखे जाने का आग्रह न करें।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
सितंबर	18	• सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि शहरी सहकारी बैंकों को गैर-एसएलआर निवेशों के संबंध में और अधिक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से इन निवेशों पर निम्नलिखित दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं : (i) गैर एसएलआर निवेश की सीमा बैंक की पिछले वर्ष की 31 मार्च की कुल जमाराशि के 10 प्रतिशत तक बनी रहेगी; (ii) ये निवेश ज्एट अथवा उसके समकक्ष रेटिंग वाले प्रतिदेय प्रकृति के वाणिज्यि पत्रों (सीपी), डिबेंचरों तथा बांडों में ही किये जा सकेंगे। बेमीयादी ऋण लिखतों में निवेश नहीं किया जा सकेगा; (iii) लिस्टिंग न हुई प्रतिभूतियों में निवेश की राशि किसी भी समय कुल गैर-एसएलआर निवेश के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो बैंक इस सीमा से अधिक का निवेश कर चुके हैं वे ऐसी प्रतिभूतियों में और निवेश नहीं कर सकेंगे। ऋण म्यूचुअल फंडों और मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंडों को छोड़कर म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऋण म्यूचुअल फंडों और मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंडों की यूनिटों को छोड़कर यूटीआई सहित अन्य म्यूचुअल फंडों की वर्तमान धारिता का विनिवेश किया जाना चाहिए। जब तक ये यूनिटें बैंक की बहियों में रहती हैं तब तक उपर्युक्त (i) में निर्धारित सीमा हेतु इन्हें गैर-एसएलआर निवेशों के रूप में माना जाएगा । (v) गैर-एसएलआर श्रेणी के सभी नए निवेशों को व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) /बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) के रूप में ही वर्गीकृत किया जाना चाहिए और इनका मूल्य इन श्रेणियों के निवेशों के लिए यथाप्रयोज्य विधि से बाजार भाव पर लगाया जाना चाहिए; (vii) वाणिज्य बैंकों और अनुमत अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के जमा खातों में रखी राशि तथा वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्रों में किए गए निवेश गैर-एसएलआर निवेशों के लिए निर्धारित कुल जमाराशि के 10 प्रतिशत की सीमा से बाहर होंगे; (viii) अंतर बैंक जमाराशि के रूप में रखी निधि की कुल राशि (समाशोधन, प्रेषण आदि सहित सभी प्रयोजनों के लिए) पिछले वर्ष की 31 मार्च की शहरी सहकारी बैंक की मांग और मीयादी देयता (डीटीएल) के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। डीटीएल के 10 प्रतिशत की विवेकपूर्ण अंतर बैंक एक्सपोजर की सीमा सम्मिलित (ऑल इन्क्लूसिव) सीमा है तथा यह अंतर बैंक मांग और नोटिस मुद्रा तक सीमित नहीं है। केवल टीयर I शहरी सहकारी बैंकों के मामले में यह अपवाद है कि वे एनडीटीए के 10 प्रतिशत की उपर्युक्त विवेकपूर्ण सीमा के अतिरिक्त अपने एनडीटीएल के 15 प्रतिशत तक की राशि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जमाराशि के रूप में रख सकते हैं; (ix) शहरी सहकारी बैंक का किसी एक बैंक के प्रति एक्सपोजर, पिछले वर्ष के 31 मार्च को सकल गैर-एसएलआर निवेश और उस बैंक में रखी जमाराशि सहित जमाकर्ता बैंक की मांग और मीयादी देयता के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रयोजन हेतु एकल बैंक एक्सपोजर सीमा निर्धारित करने के लिए सीएसजीएल सुविधा, मुद्रा तिजोरी सुविधा तथा बैंक गारंटी (बीजी), साख पत्र (एलसी) जैसी गैर निधि आधारित सुविधाएं लेने के लिए बैंक के पास रखी जमाराशि यदि कोई हो तो उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। (x) उपर्युक्त सभी निवेश, बैंकों के पास रखी उन जमाराशियों को छोड़कर जिनके संबंध में उपर्युक्त (ix) में विवेकसम्मत सीमाएं निर्धारित की गई हैं, निर्धारित विवेकपूर्ण व्यक्ति/समूह एक्सपोजर सीमा के अधीन होगा, (xi) वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) तथा जमा प्रमाणपत्रों को छोड़कर सभी निवेश उन लिखतों में होना चाहिए जिनकी मूल परिपक्वता (मेच्युरिटी) कम से कम एक वर्ष हो; (xii) जिन गैर अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की शाखा व प्रधान कार्यालय एक ही है अथवा एक ही जिले में एकाधिक शाखाएं हैं तथा उनकी जमाराशि 100 करोड़ रुपए अथवा उससे कम है,ऐसे बैंकों को उनकी मांग व मीयादी देयताओं का 15 प्रतिशत तक, निर्धारित आस्तियों में, एसएलआर रखने से छूट दी गई है यदि वे बैंक के 17 फरवरी 2006 के परिपत्र में निर्धारित किए गए अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लि. सहित भारतीय स्टेट बैंक तथा उसकी सहायक बैंकों तथा सरकारी क्षेत्रों के बैंकों में अपेक्षित राशि ब्याज वाली जमाराशि के रूप में रखते हैं। ऐसी जमाराशियां इन अनुदेशों के अंतर्गत नहीं आती हैं और उपर्युक्त (vii) में निर्धारित सीमाएं ऐसी जमाराशियों को छोड़कर हैं।
	20	• सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि जब कोई शहरी सहकारी बैंक उस जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी)/ राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) से ऋण लेता है जहां उसकी जमाराशि भी रखी गई है तो सांविधिक चलनिधि अनुपात की गणना के लिए डीसीसीबी/एसटीसीबी द्वारा लिए गए ऋण की राशि को जमाराशि से घटाया जाना चाहिए चाहे ऐसी जमाराशि पर ग्रहणाधिकार ही क्यों न मार्क किया गया हो। उक्त अनुदेश के कारण सांविधिक चलनिधि अनुपात में कमी होती हो तो उसे पूरा करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को छह महीने का समय दिया गया है।
(ग) वित्तीय संस्थाएं		
2006		
मार्च	6	• सभी वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के सभी प्रकार के ऋण चाहे वह कितनी भी राशि का हो, से संबंधित आवेदन पत्र व्यापक हो, उसमें हर तरह की सूचना हो जैसे - प्रोसेसिंग की कोई फीस हो तो आवेदन नामंजूर होने पर लौटाई जाने वाली राशि, पूर्व भुगतान का विकल्प और ऐसी कोई भी जानकारी/विषय जिससे उधार लेनेवाले का हित जुड़ा हो, ताकि अन्य बैंकों के साथ इनकी सार्थक तुलना की जा सके और उधारकर्ता पर्याप्त जानकारी के आधार पर अपना निर्णय ले सके। वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया कि क्रेडिट कार्ड आवेदनों सहित सभी श्रेणियों के ऋणों, चाहे उनकी प्रारंभिक सीमा कोई भी हो, के संबंध में ऋणदाताओं द्वारा आवेदनकर्ता को निर्धारित समय के अंदर लिखित रूप में उन प्रमुख कारणों के बारे में बताया जाना चाहिए जिसके कारण बैंक/वित्तीय संस्था के विचार में ऋण के आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2006		
मई	16	• अनर्जक आस्तियों की खरीद/बिक्री के संबंध में 13 जुलाई 2005 के पूर्व के दिशानिर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया कि आनुमानिक नकदी प्रवाह का कम से कम 10 प्रतिशत प्रथम वर्ष में प्राप्त किया जाना चाहिए और उसके बाद प्रत्येक छमाही में कम से कम 5 प्रतिशत प्राप्त किया जाना चाहिए तथा पूरी वसूली तीन वर्ष के अंदर हो जानी चाहिए। संशोधित दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
घ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)		
2006		
अप्रैल	5	• जनता से /की जमाराशियां स्वीकार/धारित न करनेवाली एनबीएफसी जिसकी आस्तियां 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली मासिक विवरणी के फार्मेट में कुछ पैरामीटर शामिल करने के लिए कतिपय परिवर्तन किए गए हैं जैसे लाभ और हानि लेखा की संचयी स्थिति, अनर्जक आस्तियों का कालखंड-वार विवरण, कार्यशील पूंजी की उच्चतम बकाया राशि, कंपनी के पूंजी बाजार एक्सपोजर से संबंधित कतिपय अतिरिक्त जानकारी और निधियों के विदेशी स्रोत। • एनबीएफसी, एमएनबीसी और आरएनबीसी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों और 1 जुलाई, 2005 को उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों पर ध्यान दें और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार के उपाय करें। नियमों में शामिल हैं - लेनदेन अभिलेख का रखरखाव, सूचनाओं का रखरखाव तथा उन्हें वित्तीय आसूचना यूनिट - भारत को सूचित करना।
सितंबर	20	• जोखिम भार लगाने के उद्देश्य से उधारकर्ता के सकल एक्सपोजर की गणना करते समय, एनएफसी उधारकर्ता को दिए गए अग्रिमों के कुल बकाया एक्सपोजर में से वह राशि घटाएं, जिसे नकद मार्जिन/प्रतिभूति जमा/जमानती राशि द्वारा मानकीकृत किया गया है और जिसके एवज में समंजन का अधिकार उपलब्ध है। • प्रतिभूतिकरण कंपनियां अथवा पुनर्निर्माण कंपनियां प्रत्येक योजना के अंतर्गत जारी की गई कम से कम 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति रसीदों में तुरंत निवेश करें। यदि प्रतिभूतिकरण कंपनियां या पुनर्निर्माण कंपनियों ने पहले ही प्रतिभूति रसीद जारी की हों, तो ऐसी कंपनियां इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना की तारीख से छह महीने के भीतर प्रत्येक योजना के अंतर्गत प्रतिभूति रसीदों में न्यूनतम अभिदान सीमा प्राप्त करेंगी।
	21	• एनबीएफसी को सूचित किया गया कि उन्हें अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र प्रति वर्ष प्रस्तुत करना चाहिए जो इस आशय का हो कि वे उस एनबीएफआइ का कारोबार कर रही हैं जिसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए के तहत पंजीयन प्रमाणपत्र रखना आवश्यक होता है। इस संबंध में 19 अक्तूबर 2006 के परिपत्र द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि मूल कारोबार की परिभाषा 8 अप्रैल 1999 की प्रेस विज्ञप्ति 1998-99/1269 में दी दी गई है।
	28	• भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934, की धारा (45) के अंतर्गत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को व्यापक अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे उचित व्यवहार संहिता के संबंध में विस्तृत दिशानिदेश तैयार करें जो उनके निदेशक मण्डल से अनुमोदित हों और उसे प्रकाशित किया जाए तथा उसे कंपनी की वेबसाइट पर जनता की जानकारी के लिए प्रदर्शित किया जाए।
अक्तूबर	19	• प्रतिभूतिकरण कंपनियों अथवा पुनर्निर्माण कंपनियों को सूचित किया गया कि वे पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्वीकृति की तारीख से छह महीने के भीतर अपना कारोबार शुरू कर दें। प्रतिभूतिकरण कंपनी अथवा पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा आवेदन किए जाने पर बैंक गुण-दोष के आधार पर उन्हें छह महीने के बाद कारोबार शुरू करने का अवधि-विस्तार स्वीकृत कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में ऐसा विस्तारण पंजीकरण प्रमाणपत्र स्वीकृत किए जाने की तारीख से 12 महीनों से अधिक न हो। वे प्रतिभूतिकरण कंपनियां अथवा पुनर्निर्माण कंपनियां जिन्होंने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र पहले ही प्राप्त कर लिया है और अब तक कारोबार शुरू नहीं किया है वे अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर अपना कारोबार शुरू करेंगी।
	27	• यह स्पष्ट किया गया कि नियंत्रण/प्रबंध में परिवर्तन के बारे में पूर्व सार्वजनिक सूचना गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और अंतरणकर्ता अथवा आंतरिती अथवा संबंधित पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से दी जाए।
दिसंबर	4	• भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को चयनात्मक आधार पर जोखिम में सहभागिता बिना भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के साथ मिलकर को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए अनुमति दे दी गई। यह अनुमति प्रारंभ में दो वर्ष के लिए होगी जिसके बाद उसकी समीक्षा की जाएगी। इस टाई-अॅप व्यवस्था के अंतर्गत एनबीएफसी का कार्य को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की मार्केटिंग और वितरण तक सीमित रहना चाहिए। को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक को उसके संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अनुदेशों /दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2006		
दिसंबर	4	• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विशाखीकरण की अनुमति देकर सुदृढ़ बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि चयनात्मक आधार पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को शुरू में दो वर्षों की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से म्यूचुअल फंडों के एजेंट के रूप में म्यूचुअल फंड के उत्पादों के विपणन और वितरण की अनुमति दी जाए और दो वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। न्यूनतम निर्धारित मानदंड पूरा करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
	6	• रिज़र्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को आस्ति पुनर्वित्त कंपनी, निवेश कंपनी तथा ऋण कंपनी के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया। उत्पादनकारी/आर्थिक कार्यों हेतु वस्तविक/भौतिक आस्तियों के लिए वित्तपोषण करने वाली कंपनियों को आस्ति वित्त कंपनी (एएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। शेष कंपनियों को ऋण/निवेश कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता रहेगा। तदनुसार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - जनता की जमाराशियों का स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेशावली 1988 के वर्गीकरण में संशोधन किया गया।
	12	• बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के कार्यकलापों के विभिन्न पक्षों के लिए विविध विनियामक आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी -एनडी-एसआइ) के विनियामक ढांचे में संशोधन किया गया। लेखा परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार 100 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक आस्ति वाली सभी एनबीएफसी-एनडी को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनडीएफसी-एनडी के रूप में माना जाएगा। ऐसी कंपनियों को न्यूनतम 10 प्रतिशत सीआरएआर (जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात) बनाए रखने के लिए सूचित किया गया है और एकल पार्टी/समूह के लिए ऋण जोखिम (एक्सपोज़र) का मानदंड निर्धारित किया गया है।
	28	• शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने ग्राहकों को ड्राप बॉक्स में चेक डालने के लिए मजबूर न करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे चेक ड्रॉप बॉक्स में यह सूचना प्रदर्शित करें कि ग्राहक अपना चेक काउंटर पर जमा करा सकते हैं और जमा पर्ची में प्राप्ति सूचना प्राप्त कर सकते हैंट। यदि ग्राहक काउंटर पर चेक प्रस्तुत करता है तो किसी भी शाखा को प्राप्ति-सूचना देने से इनकार नहीं करना चाहिए।
2007		
जनवरी	4	• सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने वाली/रखने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को फरवरी 2005 में सूचित किया गया कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईबी के अनुसार निवेशित सांविधिक चलनिधि आस्तियों पर अपने जमाकर्ताओं के पक्ष में चल प्रभार का सृजन करें। बड़ी संख्या में जमाकर्ताओं के पक्ष में सांविधिक चलनिधि आस्तियों पर प्रभार के सृजन में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा व्यक्त की गई व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, जनवरी 2007 में यह निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने/रखने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां 'न्यास विलेखट की प्रक्रिया के माध्यम से जमाकर्ताओं के पक्ष में सांविधिक चलनिधि आस्तियों पर चल प्रभार का सृजन करें। • कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा पारस्परिक लाभवाली वित्तीय कंपनी (अधिसूचित निधि) तथा पारस्परिक लाभवाली कंपनियों (संभाव्य निधि) के समग्र विनियमन का अधिग्रहण कर लिए जाने के कारण पारस्परिक लाभवाली वित्तीय कंपनियों तथा पारस्परिक लाभवाली कंपनियों द्वारा वार्षिक विवरणियों के प्रस्तुतीकरण संबंधी स्थिति की समीक्षा की गई। यह निर्णय लिया गया कि पारस्परिक लाभवाली वित्तीय कंपनियों तथा पारस्परिक लाभवाली कंपनियों से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सार्वजनिक जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1998 में उल्लिखित वार्षिक विवरणी, लेखा परीक्षित तुलनपत्र तथा लाभ-हानि खाता, लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र और अन्य ब्यौरे नहीं मंगाए जाएं ।
फरवरी	19	• जमाराशि न लेनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) को मानक श्रेणी के अंतर्गत दिए गए ऋण तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान की अपेक्षा को वर्तमान के 0.40 प्रतिशत से बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से दो प्रतिशत किया गया है। पिछले लेखा परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार 100 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की आस्ति वाली जमाराशि न लेने वाली एनबीएफसी को एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के रूप में माना जाता है। एनबीएफसी-एनडी-एसआई के प्रति सभी ऋण जोखिमों (एक्सपोज़र) के लिए जोखिम भार को वर्तमान के 100 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से 125 प्रतिशत किया गया है।

क्रम सं.	मानक आस्ति की श्रेणी	प्रावधान की दर
(क)	वैयक्तिक ऋण, पूंजी बाजार एक्सपोज़र के रूप में माने जाने वाले ऋण तथा अग्रिम, वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋण तथा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी-एनडी को ऋण तथा अग्रिम	2.00 %

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
फरवरी	22	• विवेकपूर्ण मानदंड संबंधी दो निदेशावलियां यथा -जमाराशि लेनेवाली एनबीएफसी के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार करने या धारण करनेवाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 2007 तथा जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार करने अथवा धारण न करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 2007 जारी की गईं। इसके अतिरिक्त, 100 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक की कुल आस्ति वाली एनबीएफसी और आरएनबीसी को सूचित किया गया कि वे अप्रैल 2007 से पूंजी बाजार एक्सपोजर पर निर्धारित प्रारूप में मासिक विवरणी प्रस्तुत करें। इससे पहले 50 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक की जमाराशि वाली एनबीएफसी द्वारा पूंजी बाजार एक्सपोजर पर विवरणी प्रस्तुत की जाती थी। • 100 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक की कुल आस्तियां वाली सभी एनबीएफसी तथा आरएनबीसी को संबंधित माह की समाप्ति के सात दिन के अंदर निर्धारित फार्मेट (एनबीएस 6) में मासिक आधार पर विवरणी प्रस्तुत करनी चाहिए। 50 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की जमाराशि वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पूंजी बाजार ऋण जोखिम (एक्सपोजर) पर पहले की तरह 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले माह तक विवरणी प्रस्तुत करते रहना होगा, उसके बाद संशोधित अनुदेश लागू होंगे।
	23	• सभी एनबीएफसी को इस बात पर विचार करने के लिए सूचित किया गया कि वे बड़ी जोखिम (एक्सपोजर) वाले खातों की जल्दी-जल्दी जांच करके यह पुष्टि कर लें कि निधियों का उपयोग जमाखोरी के उद्देश्य से खाद्यान्नों के भंडारण के लिए तो नहीं किया गया है।
अप्रैल	4	• एनबीएफसी को सूचित किया गया कि वे प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (वेबसाइट सहित) अथवा विज्ञापन के बदले जारी विवरण (एसआईएलए) में पंजीकरण प्रमाणपत्र आदि से संबंधित एक विवरण प्रस्तुत करें। यह भी संभव है कि जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी द्वारा केवल अपने व्यापार के संवर्द्धन के लिए जारी विज्ञापन से उन्हें जमाराशि प्राप्त हो। जमाकर्ताओं के हित में ऐसे विज्ञापनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं उक्त प्रावधानों की ओर जमाकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-जनता की जमाराशियों का स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1998 में समुचित प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। एनबीएफसी को अपने विज्ञापन में निम्नलिखित शीर्षक जोड़ना चाहिए (i) कंपनी के जमाराशि प्राप्त करने संबंधी कार्यों के संबंध में दर्शक गण से अनुरोध है कि वे जनता से जमाराशि के लिए अनुरोध करते हुए समाचार पत्र में दिए गए विज्ञापन / आवेदन पत्र में दी गई जानकारी देखें, (ii) कंपनी के पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक ..... का वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र है। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक, कंपनी की वित्तीय मजबूती की वर्तमान स्थिति अथवा कंपनी द्वारा दिए गए वक्तव्यों अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों अथवा कंपनी द्वारा प्रकट किए गए विचारों के सही होने तथा कंपनी द्वारा जमाराशि के भुगतान/देयताओं की चुकौती का कोई दायित्व अथवा गारंटी नहीं लेता।
	24	• समग्र वित्तीय प्रणाली में प्रचलित ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए एनबीएफसी द्वारा जमाकर्ताओं को अदा की जानेवाली ब्याज की अधिकतम दर में संशोधन करके 24 अप्रैल 2007 से 12.5 प्रतिशत प्रति वर्ष निर्धारित की जाएगी। यह दर एनबीएफसी द्वारा जनता की जमाराशियों पर अदा की जाने वाली अधिकतम स्वीकार्य दर हैं और वे इससे कम ब्याज दर दे सकते हैं। ब्याज की नई दर जनता से ली जाने वाली नई जमाराशियों तथा अवधिपूर्ण हो चुकी जमाराशियों के नवीकरण पर लागू होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशावलियों के अनुसार 12.5 प्रतिशत की अधिकतम वार्षिक ब्याज दर विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (चिट फंड कंपनियां) द्वारा स्वीकार/नवीकृत की जाने वाली जमाराशियों /पर भी लागू होगी।
	25	• बैंकों के साथ पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों को सूचित किया गया कि तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के भीतर एससीआरसी 1 फार्मेट (अर्जित, प्रतिभूतिकृत और पुनर्निर्मित आस्तियों पर विवरण) और एससीआरसी 2 (अर्जित, प्रतिभूतिकृत और पुनर्निर्मित आस्तियों पर विवरण-बैंकवार) में तिमाही विवरण प्रस्तुत करें। ऐसी पहली विवरणी 31 मार्च 2007 को समाप्त तिमाही के लिए प्रेषित की जाए।
	27	• प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी-एनडी को सूचित किया गया कि वे पूंजी निधि, जोखिम आस्ति अनुपात आदि संबंधी वार्षिक विवरण फॉर्म एनबीएस-7 में प्रति वर्ष मार्च के अंत में प्रस्तुत करने की एक प्रणाली स्थापित करें। ऐसी पहली विवरणी 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्रस्तुत की जाए। यह विवरणी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अंदर प्रति वर्ष प्रस्तुत की जाए। ये विवरणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी प्रस्तुत की जा सकेंगी और वेब से विवरणियां प्रस्तुत करने हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए वे गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय के सूचना प्रभाग से संपर्क कर सकते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी का पंजीकरण किया गया है।
मई	8	• कंपनी क्षेत्र में पणधारियों के हितों के संरक्षण के लिए कंपनी अभिशासन की प्रमुख भूमिका है। सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने तथा परिचालनों में अधिक पारदर्शिता सनिश्चित करने में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को समर्थ बनाने के लिए 8 मई 2007 को दिशानिर्देशों का प्रस्ताव करके उन्हें 20 करोड़ रुपए और अधिक जमा आकार वाली जमा लेनेवाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा 100 करोड़ रुपए और अधिक आस्ति आकार वाली जमा न लेनेवाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) के निदेशक मंडल द्वारा विचार किए जाने के लिए रखा गया। उक्त दिशानिर्देश लेखा परीक्षा के गठन, नामांकन तथा जोखिम प्रबंधन समितियों प्रकटीकरण तथा पारदर्शिता और संयुक्त उधार संबंध पर लागू है।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
मई	16	• अनर्जक आस्तियों की खरीद/बिक्री संबंधी 13 जुलाई 2005 के पूर्व के दिशानिर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए एनबीएफसी (आरएनबीसी सहित) को सूचित किया गया कि वे अनुमानित नकदी प्रवाह का कम-से-कम 10 प्रतिशत प्रथम वर्ष में प्राप्त करें तथा उसके बाद प्रति छमाही में कम-से-कम 5 प्रतिशत प्राप्त करें एवं तीन वर्ष के अंदर पूरी राशि की वसूली हो जानी चाहिए। संशोधित दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
	21	• भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत जनता से जमाराशि लेनेवाली एनबीएफसी के लिए 200 लाख रुपए की न्यूनतम स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की आवश्यकता के संबंध में दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी किया गया।
	24	• गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अत्यधिक ब्याज और कतिपय ऋण तथा अग्रिमों पर प्रभार लगाने संबंधी प्राप्त कई शिकायतों की दृष्टि से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि वे बैंक द्वारा ब्याज विनियमित नहीं किए जाने पर भी ब्याज दर और संसाधन तथा अन्य प्रभार निर्धारित करने हेतु समुचित आंतरिक सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करें। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि वे ऋण की शर्तों के संबंध में पारदर्शिता के बारे में निष्पक्ष व्यवहार संहिता के दिशानिदेशों का ध्यान रखें।
	25	• तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस)-ऑर्डर मैचिंग की सुविधा को व्यापक बनाने के लिए यह सुविधा एनडीएल सदस्यों के पास सरकारी प्रतिभूति (गिल्ट) खाता रखने वाली पात्र संस्थाओं को भी उपलब्ध कराई गई। पात्र संस्थाओं में जमाराशि लेनेवाली एनबीएफसी, भविष्य निधियां, पेंशन निधियां, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा ट्रस्ट जैसी वे सभी संस्थाए आती हैं जिन्हें विधि अथवा विनियम के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना होता है। ये संस्थाएं ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) के जरिए प्रत्यक्ष एनडीएस-ओएम सदस्यों, अर्थात बैंकों, प्राथमिक व्यापारी के माध्यम से एनडीएस-ओएम में अपना आदेश प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे कारोबार का निपटारा सीएसजीएल खाता और एनडीएस-ओएम सदस्य के चालू खाता के जरिए होता है। इस प्रणाली से सभी सरकारी प्रतिभूति (गिल्ट) खातेदारों की ओर से सीएसजीएल कारोबार किए जा सकते हैं, तथापि संबंधित अभिरक्षक (सीएसजीएल खातेदार) को सतर्कता बरतनी चाहिए कि जो संस्था ज्यात्रट नहीं है वे इस प्रणाली के जरिए कारोबार न कर सके। उन्हें एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनडीएस-ओएम में आदेश प्रस्तुत करने के लिए अनुमति देने से पूर्व सरकारी प्रतिभूति खातेदार पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
	28	• प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के निवल आस्ति मूल्य की घोषणा के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए। बैंक के साथ पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को सूचित किया गया कि वे अपने द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के निवल आस्ति मूल्य की घोषणा नियमित अंतरालों पर करें ताकि योग्यताप्राप्त संस्थागत क्रेता (क्यूआईबी) विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में अपने निवेश के मूल्य का आकलन कर सके।
जुलाई	2	• प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्निर्माण कंपनियों को, मार्गदर्शी नोट सहित 30 जून 2007 को अद्यतन दिशानिर्देश तथा निदेशावली जारी की गई।
	11	• 8 मई 2007 के परिपत्र के जरिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कंपनी अभिशासन पर दिशानिदेश जारी किए गए। विभिन्न गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंद्ध संस्थाओं से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए परिपत्र के संबद्ध उधार से संबंधित पैराग्राफ 2 (VI) में निहित अनुदेशों को रोक रखा गया है और सुझावों एवं संशोधनों के अंतिम मूल्यांकन के बाद यदि आवश्यक समझा गया तो उन्हें परिचालित किया जाएगा। इस संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है।
	31	• सेबी ने फिम्डा को कंपनी बांड के लिए रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म गठित करने की अनुमति दे दी है। यह भी अधिदेशित किया गया है कि इसके प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट किए गए कारोबार के साथ-साथ बीएसई और एनएसई पर रिपोर्ट किए गए कारोबार का समुचित मूल्यवर्धन के साथ समुच्चय किया जाए। फिम्डा का अपने प्लेटफार्म को 01 सितंबर 2007 से लाइव करने का प्रस्ताव है। सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे ओटीसी बाजार में कंपनी बांड में किए गए अपने द्वितीयक बाजार लेनदेन की रिपोर्ट 01 सितंबर 2007 से फिम्डा की रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर करें। इस संबंध में विस्तृत परिचालनात्मक दिशानिर्देश फिम्डा द्वारा जारी किए जाएंगे।
सितंबर	4	• 26 अक्तूबर 2005 के कंपनी परिपत्र द्वारा सभी एनबीएफसी को सूचित किया गया कि यदि धोखाधड़ी की राशि 25 लाख रुपए तथा उससे अधिक हो तो केवल बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय के धोखाधड़ी निगरानी कक्ष को एफएमआर-1 भेजें। 4 सितंबर 2007 के कंपनी परिपत्र द्वारा सभी एनबीएफसी को सूचित किया गया कि यदि धोखाधड़ी की राशि 25 लाख रुपए तथा उससे अधिक हो तो एफएमआर-1 की एक प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक के उस गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में भी प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में एनबीएफसी का पंजीकृत कार्यालय है। यह भी सूचित किया गया कि एफएमआर-3 में प्रस्तुत की जानेवाली तिमाही विवरणी को ञ्यक लाख रुपए और अधिक की धोखाधड़ी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट ञ नाम दिया गया है।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(जारी)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
अक्तूबर	10	• 28 सितंबर 2006 को निष्पक्ष व्यवहार संहिता तैयार करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित) को दिशानिदेश जारी किए गए जिसमें ऋण मूल्यांकन और शर्तेंट के अंतर्गत यह निर्धारित था कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां उधारकर्ताओं को स्वीकृति पत्र अथवा अन्य प्रकार से लिखित रूप में वार्षिक स्तर पर निर्धारित ब्याज दर उसके लागू करने की पद्धति की शर्तों के साथ ऋण की राशि सूचित करें तथा उधारकर्ता द्वारा स्वीकृत शर्तों को अपने अभिलेख में रखें। इस संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि वे ऋणों की संस्वीकृति/वितरण के समय सभी उधारकर्ताओं को ऋण करार में उद्धृत सभी संलग्नकों सहित ऋण करार की प्रति के साथ अवश्य प्रेषित करें।
		ङ) प्राथमिक व्यापारी (पीडी)
2006		
अप्रैल	4	• केंद्र सरकार प्रतिभूति बाजार पर आंतरिक तकनीकी दल की सिफारिशों के अनुसार, प्राथमिक व्यापारियों और विभागीय तौर पर प्राथमिक व्यापारी का कार्य करने वाले बैंकों के लिए हामीदारी प्रतिबद्धता और चलनिधि समर्थन की संशोधित योजना पर दिशानिर्देश जारी किए गए। प्राथमिक व्यापारी के एक दायित्व के रूप में बोली की प्रतिबद्धता को समाप्त किए जाने के चलते भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समर्थन योजना के अंतर्गत प्राथमिक व्यापारियों के लिए सीमा की गणना की प्रणाली में भी संशोधन किया गया।
मई	3	• सरकारी प्रतिभूतियों के विद्यमान कारोबार के अतिरिक्त, कतिपय सीमाओं के अंदर रहकर अन्य क्षेत्रों में विविधीकरण हेतु स्टैंड अलोन प्राथमिक व्यापारियों को अनुमति दी गई और इस संबध में दिशानिदेश जारी किए गए। यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिक व्यापारियों को स्टेप-डाउन सब्सिडियरी की स्थापना करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन प्राथमिक व्यापारियों की पहले से स्टेप डाउन सब्सिडियरी थीं उन्हें सूचित किया गया कि वे इन सब्सिडियरी में स्वामित्व के स्वरूप का पुनर्गठन करें। • तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) आर्डर मैचिंग सदस्यों को केंद्र सरकार प्रतिभूतियों में 'जब जारी' लेनदेन करने के लिए अनुमति देने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए।
जुलाई	4	• सरकारी प्रतिभूतियां के अपने वर्तमान कारोबार के अलावा निश्चित सीमाओं के अधीन स्टैंड अलोन प्राथमिक व्यापारियों को अपनी गतिविधियों को बहुआयामी बनाने की अनुमति देने पर दिशानिदेश जारी किए गए। यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिक व्यापारियों को स्टेप डाउन सब्सिडियारियां स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन प्राथमिक व्यापारियों की पहले से सब्सिडियरियां उन्हें सूचित किया गया कि वे इन सब्सिडियरियों के स्वामित्व के स्वरूप का पुनर्निर्धारण करें।
अक्तूबर	5	• प्राथमिक व्यापारी कारोबर कर रहे /करने के इच्छुक बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिदेश जारी किए गए।
	31	• प्राथमिक व्यापारियों को कहा गया कि एलएएफ के तहत फिक्स्ड रेपो रेट को रिवाइज़ करके 7.25 प्रतिशत कर दिया गया है। तदनुसार पीडी को रिज़र्व बैंक से मिलने वाली स्टैंडिग लिक्विडिटि फैसिलिटि तत्काल प्रभाव से रेपो रेट अर्थात् 7.25 प्रतिशत पर उपलब्ध होगी।
2007		
जनवरी	31	• सरकारी प्रतिभूति बाजार में शॉर्ट सेल को क्रमिक रूप से लागू करने के हिस्से के रूप में शॉर्ट सेल के मेंटेनेंस की अवधि ट्रेडिंग डे से अधिक की गई ।
मार्च	30	• प्राथमिक व्यापारियों को बताया गया कि 3 अप्रैल 2007 से पीडीओ -एनडीएस की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के सब मॉड्यूल में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं। 1. पीडीओ-एनडीएस से अब अनुसूचित वाणिज्य बैंक और प्राथमिक व्यापारी (प्राइमरी डीलर) एसडीएल को एलएएफ रेपो के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को पात्र प्रतिभूतियों के रूप में दे सकें गे। एसडीएल के मामले में 10 प्रतिशत का मार्जिन लगाया जाएगा अर्थात् 100 रुपए के रेपो बिड के लिए 110 रुपए (अंकित मूल्य) के एसडीएल का समर्थन आवश्यक होगा। यदि कोई सदस्य केंद्र सरकार प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिल और एसडीएल मिलाकर देता है तो पहले आरसीएसजीएल अकाउंट में केंद्र सरकार प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की उपलब्धता देखी जाएगी (5 प्रतिशत मार्जिन के साथ) और उसके बाद शेष राशि आरसी एसजीएल अकाउंट में (10 प्रतिशत मार्जिन के साथ) उपलब्ध एसडीएल से पूरी की जाएगी।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची *(समाप्त)*

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
		2. सहायक सामान्य खाता वही (एसजीएल) अकाउंट से आरसीएसजीएल अकाउंट में प्रतिभूतियों का अंतरण और आरसी एसजीएल से एसजीएल में अब सदस्य द्वारा एलएएफ में आरसी अंतरण (ट्रांसफर) या आरसी आहरण (विथड्राअल) के जरिये (ट्रांसफर ऑर्डर बुकिंग फंक्शनलिटि के अंतर्गत) लोक लेखा विभाग (पीएडी) (प्रतिभूति अनुभाग) के अनुमोदन बिना ही किया जा सकता है। इस दृष्टि से, आरसी अंतरण या आरसी आहरण के लिए सदस्यों को पीएडी (प्रतिभूति अनुभाग) को एसजीएल फॉम पैक्स करने की जरूरत नहीं रही। तथापि, आरसीएसजीएल अकाउंट में उपलब्ध शेष राशियों को अब तक की तरह, एलएएफ के अलावा अन्य किसी लेनदेन के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता।
		3. किसी रेपो लेनदेन के तैयार चरण (रेडी लेग) के लिए जिन सदस्यों के पास आरसी एसजीएल अकाउंट में पर्याप्त प्रतिभूतियां नहीं हैं, उन्हें इस कमी के बारे में पीडीओ-एनडीएस पर संदेश देकर एलर्ट किया जायेगा । बिड बंद होने के समय के 15 मिनटों के भीतर इस कमी की पूर्ति करनी होगी, अन्यथा बिड को रद्द किया जा सकता है।
मार्च	30	• प्राथमिक व्यापारियों को कहा गया कि एलएएफ के अंतर्गत नियत रेपो रेट 31 मार्च 2007 से 7.75 प्रतिशत कर दिया गया है। तदनुसार 31 मार्च 2007 से बैंकों को रिज़र्व बैंक की ओर से दी जाने वाली स्थायी चलनिधि सुविधा (निर्यात ऋण पुनर्वित्त) (संपार्श्वीकृत चलनिधि सहायता) रेपो रेट अर्थात् 7.75 प्रतिशत पर उपलब्ध होगी। • प्राथमिक व्यापारियों को कहा गया कि चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नियत रेपो रेट को 31 मार्च 2007 से 7.50 प्रतिशत से 25 आधार अंक बढ़ाकर 7.75 प्रतिशत कर दिया गया है। एसएएफ के अंतर्गत रिवर्स रेपो रेट 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा।
मई	16	• प्राथमिक व्यापारियों को एकल क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप में कारोबार करने की अनुमति दी गई। कार्यान्वित किए जाने वाले प्रस्तावित दिशानिर्देश प्रथम प्रारूप के रूप में परिचालित किए गए ताकि विभिन्न पणधारियों से इस संबंध में टिप्पणियां तथा प्रतिसूचना प्राप्त की जा सके।
	25	• तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस)-ऑर्डर मैचिंग की सुविधा को व्यापक बनाने के लिए यह सुविधा एनडीएस सदस्यों के पास सरकारी प्रतिभूति (गिल्ट) खाता रखने वाली पात्र संस्थाओं को भी उपलब्ध कराई गई।
जुलाई	31	• सभी प्राथमिक व्यापारियों को सूचित किया गया कि चलनिधि समायोजन योजना (एलएएफ) के अतर्गत दैनिक रिवर्स रिपो की 3,000 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा 6 अगस्त 2007 से हटा दी गई है। 28 नवंबर 2005 से प्रारंभ की गई तथा दैनिक आधार पर अपराह्न 3 से 3.45 बजे तक चलाई जाने वाली दूसरी चलनिधि समायोजन सुविधा (एसएलएएफ) 6 अगस्त 2007 से समाप्त कर दी गई है। बैंक पूर्वाह्न 9.30 बजे से 10.30 बजे तक एकल चलनिधि समायोजन सुविधा के रूप में एलएएफ का परिचालन जारी रख सकें गे। • सभी प्राथमिक व्यापारियों को सूचित किया गया कि वे 01 सितंबर 2007 से ओटीसी बाजार में किए गए कंपनी बांड के द्वितीयक बाजार लेनदेनों की रिपोर्टिंग फिम्डा के रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म में करें।
अगस्त	23	• बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों को सूचित किया गया कि वे अपने सभी आईआरएस/एफआरएस कारोबार की रिपोर्टिंग क्लिपरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआरएल) द्वारा विकसित रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर करें ताकि ओटीसी ब्याज दर व्यूत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) में किए गए लेनदेनों का रिकार्ड किया जा सके।